



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]
No. 406]नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2003/वैशाख 12, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2003/VAISAKHA 12, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2003

का.आ. 493(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय प्रारूप नियम, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 सितंबर, 2002 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1018(अ), तारीख 20 सितंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 3 अक्तूबर, 2002 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 301 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित पेटेंट नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट नियम, 2003 है।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 प्रवृत्त होता है।

2. परिभाषाएं जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

(क) “अधिनियम” से पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), अभिप्रेत है,

(ख) “समुचित कार्यालय” से नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट पेटेंट कार्यालय का समुचित कार्यालय अभिप्रेत है,

(ग) “वस्तु” के अन्तर्गत कोई पदार्थ या सामग्री और कोई सयंत्र, मशीनरी या साधित्र, भले ही वह भूमि में लगे हो या न लगे हो, भी है,

(घ) “प्रारूप” से द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप अभिप्रेत है,

(ङ) “अनुसूची” से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

3. विहित विशिष्टियां इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाए, प्रारूप में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध या उपबन्धों के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों के रूप में, यदि कोई हो, विहित किया गया है।

4. समुचित कार्यालय : (1) पेटेंट कार्यालय का समुचित कार्यालय -

(i) धारा 24क, 24ख, 24ग, 39, 65 और 125 के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए यथास्थिति पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय या शाखा कार्यालय होगा जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं में -

- (क) पेटेंट के लिए आवेदक या संयुक्त आवेदक की दशा में पहले वर्णित आवेदक साधारणतया निवास करता है या उसका अधिवास है या कारबार का स्थान है या वह स्थान है, जहाँ से वास्तव में आविष्कार हुआ था, या
- (ख) यदि पेटेंट के लिए कोई आवेदक या किसी कार्यवाही के पक्षकार का भारत में कारबार का स्थान या अधिवास नहीं है तो आवेदक या पक्षकार द्वारा दिया गया भारत में तामील के लिए पता अवस्थित है, और ,

(ii) धारा 24क, 24ख, 24ग, 39, 65 और 125 के अधीन कार्यवाहियों के लिए पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय होगा।

(2) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के सबध में एक बार विनिश्चित समुचित कार्यालय को साधारणत बदला नहीं जाएगा।

5. तामील के लिए पता :- प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम या इन नियमों से सम्बन्धित कार्यवाहियों से सम्बन्धित है और प्रत्येक पेटेंटधारी भारत में तामील के लिए एक पता नियंत्रक को देगा और ऐसी कार्यवाहियों या पेटेंट से सम्बन्धित सभी प्रयोजनों के लिए वही पता उन कार्यवाहियों से सम्बन्धित व्यक्ति या पेटेंटधारी का पता माना जा सकेगा। ऐसा पता न दिये जाने तक नियंत्रक पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वह किसी भी कार्यवाही या पेटेंट पर कार्यवाही करे या उससे व्यवहार करे अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित काई सूचना भेजे।

6. दस्तावेज छोड़ना तथा उनकी तामील : (1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पेटेंट कार्यालय में या नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के पास फाइल किए जाने, छोड़े जाने या ऐसे दिये जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज याहक द्वारा दिया जा सकेगा या डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा द्वारा समुचित कार्यालय नियंत्रक को या उस व्यक्ति को संबोधित पत्र द्वारा या सम्यक रूप से अधिप्रभावित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा भेजा जा सकेगा और यदि वह डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा द्वारा भेजी जाती है तो उस उस समय फाइल किया गया, छोड़ा गया या दिया गया समझा जाएगा जिस समय वह पत्र जिसमें वह आवेदन, सूचना या दस्तावेज है, यथास्थिति, डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा के मामूली अनुक्रम में पर्येक्ष कर दिया गया होता। ऐसे भेजने को साबित करने के लिए इतना दर्शित करना काफी होगा कि उचित पता लिखकर पत्र डाक में डाल दिया गया था परंतु फैंक्स द्वारा या सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा भेजे गए किसी

आवेदन, सूचना या दस्तावेज को भी फाइल किया गया, छोड़ा गया या दिया गया समझा जाएगा, यदि वह स्पष्ट और पूर्णरूप से सुपाठ्य है और उसकी मूल प्रति, ऐसे फैक्स या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर समुचित कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई हो।

(2) पेटेंटधारी को, पेटेंट रजिस्टर में लिखे हुए उसके पते पर अथवा नियम 5 के अधीन दिए गए तामील के लिए उसके पते पर अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक या विरोधी को उस आवेदन या विरोध की सूचना में दिए गए अथवा तामील के लिए दिए गए पते पर भेजी गई किसी लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर उचित रूप से पता लिखा गया है।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पेटेंटधारी या किसी आवेदक या विरोधकर्ता को संबोधित सभी सूचनाएं और सभी लिखित संसूचनाएं, और पेटेंटधारी या उक्त आवेदक या विरोधकर्ता को अग्रेषित सभी दस्तावेज तब के सिवाय जब वे विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे गए हों ; रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा द्वारा या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा भेजे जाएंगे।

(4) अधिनियम और इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पेटेंटधारी या किसी आवेदक या विरोधकर्ता को संबोधित किसी सूचना या लिखित संसूचना की तारीख, जब तक कि अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए, यथास्थिति, उक्त सूचना या लिखित संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर या फैक्स अथवा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा प्रेषित करने की तारीख होगी।

(5) पेटेंट कार्यालय द्वारा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को भेजे गए दस्तावेज या किसी संसूचना की प्राप्ति में विलम्ब की दशा में किसी पक्षकार द्वारा पेटेंट कार्यालय को दस्तावेज के पारेषण या पुनः प्रस्तुत करने या किसी कार्य को करने में विलम्ब को, नियंत्रक द्वारा माफ किया जा सकेगा, यदि विलम्ब को माफ करने के लिए कोई याचिका, पक्षकार द्वारा नियंत्रक को दस्तावेज या संसूचना की प्राप्ति के ठीक पश्चात् कर दी जाती है जिसके साथ तथ्य की परिस्थितियों का कथन करते हुए एक अभिकथन और अभिकथन के समर्थन में साक्ष्य होगी:

परन्तु नियंत्रक द्वारा माफ किया गया विलम्ब उस बीच की अवधि से अधिक नहीं होगा जो उस तारीख जिसको पक्षकार द्वारा डाक या इलैक्ट्रॉनिक पारेषण के साधारण अनुक्रम में दस्तावेज या संसूचना प्राप्त किए जाने की संभावना थी और उसकी प्राप्ति की वास्तविक तारीख के बीच की हो।

7. फीस :- (1) धारा 142 के अधीन पेटेंट दिए जाने के लिए और उसके लिए आवेदन के लिए तथा ऐसे अन्य विषयों के लिए, जिनके लिए अधिनियम के अधीन फीस दी जानी अपेक्षित है, दी जानेवाली फीसें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार संदेय होगी ।

(2) (क) अधिनियम के अधीन संदेय फीस या तो नकद दी जा सकेगी या नियंत्रक को संदेय और उस स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक को लिखे गये जहां समूचित

डाक द्वारा भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि फीस का सदाय उस तारीख को किया गया है जिसको ड्राफ्ट या चेक डाक के साधारण अनुक्रम में पेटेंट नियंत्रक को पहुंच जाता है ।

(ख) जिन बैंकों या ड्राफ्टों में कमीशन की सही रकम सम्मिलित न हो जिनके आधार पर उनमें विनिर्दिष्ट पूरी रकम, फीसों के सदाय के लिए अनुज्ञात समय के भीतर, नकद वसूल नहीं की जा सकती है, नियंत्रक के विवेक पर ही स्वीकार किए जाएंगे ।

(ग) जहां कोई फीस किसी दस्तावेज के संबंध में संदेय है वहां दस्तावेज के साथ सम्पूर्ण फीस होगी या दस्तावेज फाइल किए की तारीख एक माह के भीतर संदत्त की जाएगी।

परन्तु नियंत्रक फीस को भाग में स्वीकार कर सकेगा और शेष फीस को दस्तावेज के फाइल किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर किसी समय संदाय किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे संदाय पर, दस्तावेज को, ऐसे दस्तावेज के फाइल किए जाने के लिए नियत तारीख के समाप्त हो जाने पर भी, उसके फाइल किए जाने की तारीख से अभिलेख पर लिखा जाएगा ।

अध्याय 2

पेटेंटों के लिए आवेदन

10. वह अवधि जिसके भीतर धारा 7(2) के अधीन आवेदन करने के अधिकार का सबूत दिया जाएगा :- जहां पेटेंट के लिए कोई आवेदन अविष्कार के लिए पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन करने के अधिकार के किसी समनुदेशन के आधार पर किया जाए वहां यदि आवेदन के साथ इस बात का सबूत न दिया गया हो कि आवेदन करने का अधिकार है तो आवेदक ऐसा आवेदन दाखिल करने के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा सबूत देगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए उस दशा में जहां कोई आवेदन किसी उस अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप है जिसमें भारत अभिहित है, तीन मास की अवधि की गणना, उस वास्तविक तारीख से की जाएगी, जिसको तत्स्थानी आवेदन भारत में फाइल किया जाता है ।

11. आवेदन अभिलिखित करने का क्रम :- किसी एक वर्ष में किए गए आवेदनों को श्रंखला के रूप में रखा जाएगा और ऐसे दाखिल करने के वर्ष से उनकी पहचान होगी । उस दशा में जहां कोई किया गया आवेदन किसी उस अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप है जिसमें भारत अभिहित है, ऐसे आवेदन श्रंखला के रूप में गणित किए जाएंगे जो शेष आवेदनों से भिन्न होंगे उनकी पहचान उस तारीख से की जाएगी जिसको अनुरूप आवेदन भारत में फाइल किया जाता है ।

12. विदेशी आवेदनों के बारे में विवरण और वचनबद्धता :- (1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन पेटेंट के लिए आवेदक द्वारा दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण और वचनबद्ध प्ररूप 3 में किया जाएगा ।

(2) वह समय, जिसके भीतर पेटेंट के लिए आवेदक धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपने द्वारा दिए जानेवाले वचनबद्ध में भारत से बाहर किसी देश में दाखिल किए गए अन्य आवेदनों की बाबत व्यौरों की जानकारी नियंत्रक को देगा, जो ऐसे दाखिल की तारीख से तीन मास होगा ।

(3) जब धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तब आवेदक, अविष्कार की नोबल्टी और पेटेंटता की बाबत आक्षेपों के संबंध में यदि कोई हो, जानकारी और कोई अन्य विशिष्टियां जिनकी नियंत्रक अपेक्षा करे, जिनमें अनुज्ञात दावे या आवेदन है, प्रस्तुत करेगा ।

प्ररूप 4 में किया जाएगा ।

13. विनिर्देश :- (1) प्रत्येक विनिर्देश भले ही वह अनंतिम हो या सम्पूर्ण, प्ररूप 2 में दिया जाएगा ।

(2) धारा 16 के अधीन मंडलीय आवेदन की बाबत विनिर्देश में उस मूल आवेदन की संख्या के प्रति विनिर्दिष्ट प्रति निर्देश होगा जिससे मंडलीय आवेदन दिया गया है ।

(3) धारा 54 के अधीन अतिरिक्त के पेटेंट की बाबत विनिर्देश में, यथास्थिति, मुख्य पेटेंट के या मुख्य पेटेंट के आवेदन के संख्यांक का निर्देश होगा और यह स्पष्टतः कथन होगा कि आविष्कार में दिए गए या आवेदन किए गए मुख्य पेटेंट के विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार में कोई सुधार या उसका उपान्तर समाविष्ट है ।

(4) जहां आविष्कार का रेखाचित्रों द्वारा स्पष्टीकरण किया जा सकता हो यहां ऐसे रेखाचित्र नियम 15 के उपबधों के अनुसार तैयार किए जाएंगे और उन्हें साथ दिया जाएगा तथा उस विनिर्देश में विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में यदि आवेदक अपनी अनंतिम विनिर्देश के साथ दिए गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनिर्देश के रेखाचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में अंगीकार करना चाहता है तो सम्पूर्ण विनिर्देश में उनको इस प्रकार निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वे वही हैं, जो अनंतिम विनिर्देश के साथ दिए गए हैं ।

(7) (क) धारा 10 की उपधारा (4) के खड (घ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सार, विनिर्देश सहित, आविष्कार हक से आरम्भ होगा। आविष्कार का शीर्षक सामान्यतः गन्दह से अनधिक शब्दों में आविष्कार की विनिर्दिष्ट विशेषताएँ प्रकट करेगा।

(ख) सार में, विनिर्देश में अतिरिष्ट विषय-वस्तु का सूक्ष्म सारांश अतिरिष्ट होगा। सारांश में स्पष्ट रूप से वह तकनीकी समस्या, जिससे आविष्कार सम्बन्धित है और आविष्कार तथा आविष्कार के मुख्य उपयोग या उपयोगों के माध्यम से समस्या का समाधान उपदर्शित होगा जहाँ आवश्यक हो, सार में वह तकनीकी सूत्र, जो आविष्कार को विशेषीकृत करता है अतिरिष्ट होगा।

(ग) सार में 150 शब्दों से अनधिक शब्द हो सकेंगे।

(घ) यदि विनिर्देश में कोई आरेख विनिर्दिष्ट है तो आवेदक सार में आकड़े या अपवाद स्वरूप रेखाचित्र के आकड़े उपदर्शित करेगा, जिसके साथ जब प्रकाशित किया जाए, तब सार होगा। सार उपवर्णित और रेखाचित्र द्वारा उदाहरणीकृत प्रत्येक मुख्य लक्षण उस रेखाचित्र में उपयोग किए गए निर्देश चिन्ह द्वारा अनुसरित होगा।

(ङ) सार का इस प्रकार प्रारूपण किया जाएगा कि विशिष्टतया तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान के प्रयाजन के लिए यह एक दक्षतापूर्ण लिखित गठित हो विशिष्ट रूप से यह निर्धारण करना समभव बनाया जा सके कि विनिर्देश को ही परामर्श करना आवश्यक हो।

14. विनिर्देश में संशोधन - (1) आवेदक या उसके अभिकर्ता को जब कोई अनतिम या सम्पूर्ण विनिर्देश या उसके साथ का कोई रेखाचित्र संशोधन के लिए प्राप्त हो तब संशोधन के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बातें उन पृष्ठों का जो एक ही दस्तावेज के रूप में हो पुनः लिखकर अतिरिष्ट की जा सकेंगी। उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज में संशोधन स्लिप चिपकाकर या गंद टिप्पण लिखकर या हाशिये में लिखकर नहीं किए जाएंगे।

(3) आरेख की कम से कम एक प्रति अच्छे कागज की सीट पर स्वच्छता और स्पष्टता तैयार की जाएगी ।

(4) आरेख मानक ए4 आकार की सीट पर होगी और प्रत्येक सीट पर बाईं ओर शीर्ष पर कम से कम 4 सेटीमीटर का स्पष्ट हासिया और दायीं ओर नीचे 3 सेटीमीटर का हासिया होगा ।

(5) रेखाचित्र आविष्कार को स्पष्ट रूप से दर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से बृहत माप पर लागू और रेखाचित्र पर विमाएँ चिह्नित नहीं की जाएगी ।

(6) रेखाचित्र क्रमानुसार या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित की जाएगी और उस पर -

- (i) ऊपरी किनारे के बाईं ओर रेखाचित्र का नाम ,
- (ii) ऊपरी किनारे के दायीं ओर रेखाचित्र की सीटों की संख्या और पश्चात्पूर्वी प्रत्येक सीट की संख्याक , और
- (iii) नीचे किनारे के दायीं ओर आवेदक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे ।

(7) रेखाचित्र पर फ्लो डाइग्राम के सिवाय वर्णनात्मक सामग्री प्रकटित नहीं होगी ।

16. माडल -- केवल जब नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की जाए, तभी धारा 10 के अधीन माडल या नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे ।

“अध्याय 3”

पेटेंट सहकारिता संधि के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन (पे.स.सं.)

17. परिभाषाएं - इस अध्याय में, जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “अनुच्छेद” से संधि का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है ,
- (ख) “संधि” या “पे स स ” से पेटेंट सहकारिता संधि अभिप्रेत है ,
- (ग) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु पेटेंट सहकारिता संधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस संधि में हैं।

18 अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के सबंध में समुचित कार्यालय -

- (1) संधि के अधीन फाइल किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के प्रयोजन के लिए नियम 4 के अनुसार प्राप्तकर्ता कार्यालय, अभिहित कार्यालय और चयनित कार्यालय समुचित कार्यालय होगा ।
- (2) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय तलाश प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक जाच प्राधिकरणों के सबंध में कार्यवाही करने के लिए पेटेंट कार्यालय का प्रधान कार्यालय समुचित कार्यालय होगा ।

(3) सधि के अधीन कोई अंतर्राष्ट्रीय आवेदन इस अध्याय, सधि और पेटेंट सहकारिता सधि के अधीन स्थापित और विनियमों के उम्बद्धों के अनुसार समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा और उसक द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(4) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, समुचित कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदन की अभिलेख प्रति के रूप में उसकी एक प्रति विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को और तलाशी प्रति के रूप में दूसरी प्रति अंतर्राष्ट्रीय तलाश सक्षम प्राधिकरण को भेजेगा। साथ ही समुचित कार्यालय ऐसे आवेदन के संपूर्ण ब्यौरे पेटेंट कार्यालयों के प्रधान कार्यालय को भेजेगा।

19. प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में पेटेंट कार्यालय में फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन -

(1) कोई अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन, समुचित कार्यालय में तीन प्रतियों में (प्रधान कार्यालय की बाबत) और चार प्रतियों में (शाखा कार्यालय की बाबत) या तो अंग्रेजी में या हिन्दी भाषा में फाइल किया जाएगा।

(2) पेटेंट कार्यालय में फाइल किए गए किसी अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत सदेय फीस सधि के अधीन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस होंगी।

(3) जहां अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पेटेंट कार्यालय में उपनियम (1) यथानिर्दिष्ट तीन प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है और आवेदक यह चाहता है कि पेटेंट कार्यालय अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियाँ तैयार करे, वहां ऐसी प्रतियाँ तैयार करने के लिए फीस आवेदक द्वारा सदाय की जायेगी।

(4) समुचित कार्यालय, आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति पर और उसके द्वारा विहित फीस का सदाय करने पर प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करेगा और आवेदक को सूचना देते हुए पेटेंट कार्यालय में फाइल किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के प्रयोजन के लिए उसे तत्पर रूप से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो और प्रधान कार्यालय को भेजेगा।

20. भारत को अभिहित और चयन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन - (1) धारा 7(1क) के अधीन पेटेंट सहकारिता सधि के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन प्ररूप 1क में किए जाएंगे।

(2) पेटेंट कार्यालय, उपनियम (4) में विहित समय सीमा की समाप्ति से पूर्व भारत को अभिहित करने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन अनुरूप फाइल किए गए आवेदन पर कार्यवाही आरम्भ नहीं करेगा।

(3) भारत को अभिहित करने वाले किसी आवेदन की बाबत आवेदक उपनियम (4) में विहित समय सीमा के अवसान से पूर्व, -

(क) इन नियमों और सधि के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विहित रीति से पेटेंट कार्यालय को विहित राष्ट्रीय फीस और अन्य फीस का सदाय करेगा,

(ख) जहा अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन फाइल नहीं किया गया था या अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं किया गया है, वहा आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से यह सत्यापित किया गया आवेदन का अंग्रेजी में अनुवाद पेटेंट कार्यालय में फाइल करेगा कि उसकी अतर्वस्तुएँ सही और पूर्ण हैं।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट समय सीमा जहा आवेदक ने अनुच्छेद 2 (xi) में निर्दिष्ट पूर्विकता की तारीख से उन्नीस मास के अवसान से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के प्रयोजन के लिए भारत का चयन किया है या नहीं किया है, वहा उक्त पूर्विकता की तारीख से इक्कीस मास होगी। जहा आवेदक ने अनुच्छेद 2 (xi) में निर्दिष्ट पूर्विकता की तारीख से उन्नीस मास के अवसान से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के उपयोग के प्रयोजन के लिए भारत का चयन किया है, वहा उक्त पूर्विकता की तारीख से इक्कीस मास होगी।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुवाद में निम्नलिखित का अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित होगा -

- (i) वर्णन ,
- (ii) दावे जैसे कि फाइल किए गए हैं ;
- (iii) रेखाचित्रों का कोई मूल विषय ;
- (iv) सार , और
- (v) यदि आवेदक ने भारत का चयन नहीं किया है और यदि दावों का अनुच्छेद 19 के अधीन संशोधन किया गया है तो उक्त अनुच्छेद के अधीन फाइल किए गए कथन के साथ किए गए संशोधित दावे ,
- (vi) यदि आवेदक ने भारत का चयन किया है और किसी वर्णन, दावों और रेखाचित्रों के मूल विषय के संशोधन, को अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध है।

(6) यदि आवेदक समुचित कार्यालय से आमत्रण मिलने के पश्चात् भी उपनियम (5) में निर्दिष्ट संशोधित दावों और उपबन्धों का अनुवाद उक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बचे समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाए फाइल करने में असफल रहता है तो समुचित कार्यालय द्वारा आवेदन के संबंध में आगे कार्यवाही किए जाने के अनुक्रम में ऐसे संशोधित दावों और उपबन्धों को नहीं माना जाएगा।

(7) भारत को अभिहित करने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत आवेदक अभिहित कार्यालय के रूप में समुचित कार्यालय के संबंध में उपनियम (3) का अनुपालन करते समय अधिमानतः दूसरी अनुसूची में वर्णित प्ररूपों का उपयोग करेगा ।

21. पूर्विकता प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना - (1) जहां आवेदक ने भारत को अभिहित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत संधि के अधीन विनियमों के नियम 17.1 के पैरा (क) या पैरा (ख) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है तो यहां आवेदक नियम 20 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट समय सीमा के अवसान से पूर्व उस नियम में निर्दिष्ट पूर्विकता दस्तावेज समुचित कार्यालय में फाइल करेगा ।

(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट पूर्विकता प्राप्त दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं है वहां नियम 20 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसका सम्यक रूप से सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद फाइल किया जाएगा ।

(3) जहां आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है वहां समुचित कार्यालय आवेदक को यथास्थिति पूर्विकता प्राप्त दस्तावेज या उसका अनुवाद ऐसा निमंत्रण मिलने की तारीख से तीन मास के भीतर फाइल करने के लिए आमंत्रित करेगा और यदि आवेदक ऐसा करने में असफल रहता है तो अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्विकता के लिए आवेदक के दावे को नहीं माना जाएगा ।

22. कतिपय अपेक्षाओं के अननुपालन का प्रभाव - यदि आवेदक नियम 20 के अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है तो भारत को अभिहित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन को वापस लिया गया समझा जाएगा ।

23. इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षाओं का संधि की अधीन विनियमों, आदि का अनुपूरक होना - (1) इस अध्याय के उपबंध पीसीटी और उसके अधीन बनाए गए विनियमों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुपूरक होंगे ।

(2) इस अध्याय में अंतर्दिष्ट नियमों के किन्हीं उपबंधों और संधि और उसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा प्रशासनिक अनुदेशों के उपबंधों में किसी परस्पर विरोध की दशा में संधि और उसके अधीन बनाए गए विनियमों और प्रशासनिक अनुदेशों के उपबंध अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में लागू होंगे ।

अध्याय 4

आवेदनों का प्रकाशन और परीक्षा

24. आवेदन की परीक्षा - (1) धारा 11ख के अधीन परीक्षा के लिए कोई अनुरोध प्ररूप 19 में किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पेटेंट के लिए फाइल किए गए आवेदन की परीक्षा के बारे में अनुरोध को उस क्रम में परीक्षा के लिए लिया जाएगा, जिसमें अनुरोध फाइल किया गया है।

(3) प्रथम परीक्षा रिपोर्ट, आवेदन और विनिर्देशों के साथ आवेदक या उसके अभिकर्ता को भेजी जाएगी। यदि कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति परीक्षा के लिए अनुरोध करता है तो ऐसी परीक्षा की सूचना उस हितबद्ध व्यक्ति को भेजी जा सकती है।

(4) कोई आवेदक प्रथम परीक्षा रिपोर्ट के सबंध में अपना प्रथम जवाब, ऐसा कथन जारी किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) ऐसे सभी आवेदनों को, जिनकी परीक्षा पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्वतर कर ली गई हो, स्वीकृति के लिए क्रम में रखने के लिए समय उस तारीख से, जिसको अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवेदक का प्रथम कथन आवेदक को जारी किया गया है, यथास्थिति, पन्द्रह या अठारह मास होगा।

25. प्रकाशित आवेदनों की पहचान करना - धारा 11क की उपधारा (2) और उपधारा (5) के अधीन आवेदन के प्रकाशन की पहचान, आवेदन की संख्या के साथ अक्षर 'अ' द्वारा की जाएगी।

26. वापस लिए जाने के लिए अनुरोध - (1) धारा 11ख की उपधारा (4) के अधीन आवेदन वापस लेने के लिए अनुरोध लिखित में किया जाएगा।

(2) यदि धारा 11ख की उपधारा (4) के अधीन आवेदन वापस लेने का अनुरोध धारा 11क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया गया है तो आवेदन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

27. प्रकाशित आवेदनों का निरीक्षण- धारा 11क के अधीन आवेदन पर प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, पूर्ण विनिर्देश और अनंतिम विनिर्देश, यदि कोई हो, के साथ आवेदन, रेखाचित्र, यदि कोई हो, और आवेदन की बाबत फाइल किया गया सार निरीक्षण नियंत्रक को लिखित में आवेदन करके और इस निमित्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का सदाय करके, समुचित कार्यालय में किया जाएगा।

28. पूर्व प्रकाशन द्वारा प्रत्याशा की दशा में प्रक्रिया :- (1) यदि धारा 13 के अधीन किए गए अन्वेषण के पश्चात् नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि आविष्कार जहां तक उस आविष्कार का किसी सम्पूर्ण विनिर्देश वाले दावे में दावा किया गया है, उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में प्रकाशित कर दिया गया हो तो नियंत्रक विनिर्दिष्ट आक्षेपों का सार और उसका आधार आवेदक को संसूचित करेगा और आवेदक को अपने विनिर्देश में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि आवेदक अपने को उपनियम (1) के अधीन नियंत्रक द्वारा संसूचित किए गए आक्षेपों में से किन्हीं आक्षेपों के लिए विरोध करता है या यदि वह अपना विनिर्देश अपने संप्रेक्षणों सहित, चाहे विनिर्देश संशोधित किया जाना हो या नहीं, फिर से दाखिल करता है, तो यदि वह ऐसा अनुरोध करे तो उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसा अनुरोध धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की अंतिम तारीख के दस दिवस के भीतर पूर्वता किसी तारीख को किया जाएगा.

परन्तु यह और कि सुनवाई के लिए कोई अनुरोध ऐसी कमतर अवधि के भीतर फाइल किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जिसे नियंत्रक मामले के परिस्थितियों में ठीक समझे।

(3) यदि आवेदक आक्षेपों के सार की संसूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उपनियम (2) के अधीन सुनवाई की अपेक्षा करता है या यदि नियंत्रक ऐसा करना वांछनीय समझे तो वह चाहे आवेदक अपना आवेदन फिर से दाखिल करे या नहीं, आवेदन को ठीक करने के लिए बकाया समय या मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकता है ।

(4) आवेदक को, ऐसी सुनवाई के लिए दस दिन की सूचना, या ऐसी अल्पतर सूचना, जैसी कि नियंत्रक को मामले की परिस्थितियों में युक्ति-युक्त प्रतीत लगे, दी जाएगी और आवेदक, यथासमय शीघ्र, नियंत्रक को अधिसूचित करेगा कि क्या वह सुनवाई में हाजिर होगा या नहीं ।

(5) आवेदक की सुनवाई के पश्चात या यदि आवेदक हाजिर नहीं हुआ हो या उसने अधिसूचित किया हो कि उसे सुनवाई की इच्छा नहीं है तो बिना सुनवाई के, नियंत्रक विनिर्देश का ऐसा संशोधन विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात कर सकेगा जैसा कि वह किया जाना ठीक समझे और जब तक कि विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात संशोधन ऐसी अवधि के भीतर न किया जाए जैसा कि नियत की जाए विनिर्देश को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा ।

29. पूर्व-दावे द्वारा प्रत्याशा की दशा में प्रक्रिया - (1) जब यह पता चले कि आविष्कार, जहां तक उसका दावा पूर्व विनिर्देश के किसी दावे में किया गया हो, का

दाया धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है वहा आवेदक को सूचित किया जाएगा और उसे अपना विनिर्देश संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि आवेदक के विनिर्देश अन्यथा स्वीकार किए जाने के लिए ठीक है और धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आपत्ति शेष रह गई है तो नियंत्रक विनिर्देश को स्वीकार कर सकेगा और उसकी प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में आपत्ति को दूर करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

30. प्रत्याशा की दशा में सम्पूर्ण विनिर्देश का संशोधन - (1) यदि आवेदक किसी समय ऐसी प्रार्थना करे अथवा यदि नियंत्रक का समाधान हो जाए कि नियम 29 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आपत्ति दूर नहीं की गई है तो आवेदक को सुनने के लिए एक तारीख तुरंत नियत की जाएगी और आवेदक को कम से कम 10 दिन पहले इस प्रकार नियत तारीख की सूचना दी जाएगी। आवेदक यथासंभव शीघ्र नियंत्रक को सूचित करेगा कि क्या वह सुनवाई में हाजिर होगा ।

(2) नियंत्रक आवेदक को सुनने के पश्चात् अथवा यदि आवेदक हाजिर न हुआ हो या उसने यह सुना जाना नहीं चाहता है यह सूचित किया हो तो उसे सुने बिना विनिर्देश का ऐसा संशोधन विहित या अनुज्ञात कर सकेगा जो उसके समाधानप्रद रूप में हो और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे अन्य विनिर्देश के प्रति जैसे वह बताए, निर्देश आवेदक के अन्य विनिर्देश में कर दिए जाएं, जब तक कि संशोधन उतनी अवधि के भीतर, जो वह नियत करे, न हो जाए या उसके लिए सहमति न हो जाए ।

31. अन्य विनिर्देश के प्रति निर्देश का प्ररूप - नियम 30 के अनुसरण में जब नियंत्रक निदेश दे कि किसी अन्य विनिर्देश का निर्देश आवेदक के सम्पूर्ण विनिर्देश में बकाया जाएगा तो दावे के पश्चात् ऐसा निर्देश अंतःस्थापित किया जाएगा और वह निम्नलिखित प्ररूप में होगा, अर्थात् :-

“पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 18(2) के अनुसरण में आवेदन संख्या —
 ----- के अनुसरण में दाखिल किए गए विनिर्देश का निर्देश देने का निदेश दिया गया है ।”

32. सशक्त अतिलंघन की दशा में प्रक्रिया - यदि धारा 13 या धारा 25 के उपबन्धों के अधीन किए गए अन्वेषण के फलस्वरूप नियंत्रक को यह प्रतीत हो कि आवेदक के आविष्कार पर किसी अन्य पेटेंट के दावे के अतिलंघन की सारवान जोखिम के बिना काम नहीं किया जा सकता है तो तदनुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा और नियम 29 में उपबन्धित प्रक्रियाएं, जहां तक आवश्यक हो, लागू होंगी ।

33. अन्य पेटेंट के प्रति निर्देश का प्ररूप - जहां नियंत्रक निदेश कि धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक के सम्पूर्ण विनिर्देश में अन्य पेटेंट का निर्देश जोड़ा जाएगा वहां ऐसा निर्देश निम्नलिखित प्ररूप में दावे के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 19(1) के अनुसरण में पेटेंट संख्या ----- का निर्देश देने का निदेश दिया गया है।”

34. वह रीति, जिसमें धारा 20(1) के अधीन दावा किया जाएगा - (1) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन दावा प्ररूप 6 में किया जाएगा।

(2) नियंत्रक के निरीक्षणार्थ मूल समनुदेशन या करार अथवा उसकी शासकीय या नोटरी द्वारा प्रमाणित की हुई प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाएगी और नियंत्रक हक के ऐसे अन्य सबूत की या लिखित सहमति की मांग कर सकेगा जिसकी उसे अपेक्षा हो।

35. वह रीति जिसमें धारा 20(4) के अधीन अनुरोध किया जा सकेगा - (1) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन अनुरोध प्ररूप 6 में किया जायेगा।

(2) संयुक्त आवेदक की मृत्यु का सबूत प्रार्थना के साथ में होगा और यह साबित करने के लिए कि सहमति देने वाला व्यक्ति विधित प्रतিনিधि है, या तो मृतक की विल के प्रोवेट की प्रमाणित प्रति या उसकी सम्पदा की बाबत प्रशासन-पत्र या अन्य कोई दस्तावेज दी जाएगी।

36. धारा 20(5) के अधीन आवेदन की रीति - (1) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप 6 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ में एक कथन होगा जिसमें वे तथ्य, जिनका आवेदक आश्रय लेता हो, पूर्णरूप से दिए गए होंगे और उन निदेशों का भी कथन होगा जो वह चाहता हो।

(2) नियंत्रक द्वारा आवेदन और कथन की एक प्रतिलिपि प्रत्येक अन्य संयुक्त आवेदक को भेजी जाएगी।

37. सम्पूर्ण विनिर्देश के स्वीकार हो जाने पर आवेदनों का संख्यांकन - इस आवेदन की बाबत दाखिल किए गए सम्पूर्ण विनिर्देश के स्वीकार हो जाने पर आवेदन की एक नई संख्या (जो क्रम संख्या कहलाएगी) दी जाएगी, जो उन संख्याओं की आवली में होगी जो भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) के अधीन पेटेंटों पर दिये गये हैं और वही संख्यांक पेटेंट का संख्यांक होगा जिसे आवेदन के अनुसरण में मुद्रांकित किया जाएगा।

38. आवेदन, विनिर्देश आदि का निरीक्षण - धारा 23 के अधीन सम्पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के प्रकाशन की तारीख के पश्चात आवेदन का संपूर्ण विनिर्देशों या अनंतिम विनिर्देश के साथ यदि कोई हो और आवेदन के बारे में, दाखिल किए गए रेखांकनों और दस्तावेजों के साथ यदि कोई हो, जैसा कि नियंत्रक द्वारा स्वीकार किया गया है निरीक्षण नियंत्रक को लिखित में अनुरोध करके समुचित कार्यालय में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जा सकेगा ।

अध्याय 5 अनन्य विपणन अधिकार

39. आवेदन का फाइल किया जाना - धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले आविष्कार की बाबत किसी पेटेंट के मंजूर किये जाने के लिए कोई आवेदन प्ररूप 1 में, पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस सहित नियंत्रक को किया जाएगा ।

40. अनन्य विपणन अधिकार के मंजूर किए जाने के लिए आवेदन - वस्तु या पदार्थ के विक्रय या अनन्य अधिकार मंजूर करने के लिए कोई आवेदन प्ररूप 27 में, पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस सहित नियंत्रक को किया जाएगा और नियंत्रक आवेदन के फाइल किए जाने को राजपत्र में अधिसूचित करेगा तथा केन्द्रीय सरकार के उस प्राधिकारी को, जो उस वस्तु या पदार्थ के विक्रय या वितरण का अनुमोदन करने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, सूचित करेगा ।

41. आवेदनों का नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट किया जाना - नियम 40 के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, नियंत्रक पेटेंट से संबंधित आवेदन को किसी परीक्षक को उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजने के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

42. परीक्षक की रिपोर्ट - परीक्षक जिसको कोई आवेदन निर्दिष्ट किया जाता है साधारण रूप से रिपोर्ट को, इस प्रकार प्रतिनिर्देश की तारीख से नब्बे दिने की अवधि के भीतर नियंत्रक को भेजेगा ।

43. अनन्य विपणन अधिकारों को मंजूर करने या नामंजूर करने को अधिसूचित किया जाना - जब नियंत्रक किसी वस्तु या पदार्थ को विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार को मंजूर करने के किसी आवेदन को मंजूर या नामंजूर कर देता है तो वह उसे राजपत्र में और केन्द्रीय सरकार उस प्राधिकारी को जिसने किसी वस्तु या पदार्थ को विक्रय या वितरण करने के लिए मंजूर किया है, अधिसूचित करेगा ।

44. आविष्कारों से संबंधित व्यक्तिगत दस्तावेज आदि - विनिर्देशों से संबंधित किसी दस्तावेज में के अभिलेख और धारा 24ख की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट विचारण या उपयोग के अंतर्गत लोक दस्तावेज, लोक विचारण या उपयोग है किंतु उसके अंतर्गत कोई व्यक्तिगत दस्तावेज या गुप्त विचारण या उपयोग नहीं है ।

45. समुचित परीक्षण - 1 जनवरी, 1995 को या उसके पश्चात् किया गया और धारा 24ख में विनिर्दिष्ट समुचित परीक्षण पूर्णतः या उसका भाग होंगे जिनको इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किया गया है ।

46. अनन्य विपणन अधिकारों को मंजूर करने का प्ररूप - विपणन अधिकारों को प्ररूप 28 में मंजूर किया जाएगा ।

47. अनन्य विपणन अधिकारों को विक्रय या वितरण अथवा प्रतिसंहरण करने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन - (1) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 84 धारा 85 या धारा 92 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी आदेश के लिए नियंत्रक को कोई आवेदन यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 20 में किया जाएगा जिसे यदि आवश्यक समझा जाए उपांतरित किया जाएगा । केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आवेदन की दशा के सिवाय, आवेदन में आवेदनकर्ता के हित की प्रकृति तथा अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें जिसको आवेदनकर्ता स्वीकार किए जाने का इच्छुक है, उपवर्णित होंगे ।

(2) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 84 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए नियंत्रक आवेदनकर्ता से विवरण और साक्ष्य मांग सकेगा ।

(3) नियंत्रक से किसी आदेश के प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता नियंत्रक के आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

48. जब कोई प्रथम-दृष्ट्या मामला नहीं बनता है - (1) यदि साक्ष्य पर विचार करने पर नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि नियम 47 में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन कोई आदेश करने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बना है तो वह तदनुसार आवेदन को अधिसूचित करेगा । जब तक आवेदक मामले में सुनवाई का अनुरोध नहीं करता तब तक नियंत्रक आवेदक द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान के पश्चात् आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर सुनवाई के लिए कोई अनुरोध करता है तो नियंत्रक आवेदक को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी या इसे नामंजूर किया जाएगा ।

49. अनन्य विपणन अधिकारों के अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी या प्रतिसंहरण के संबंध में विरोध की सूचना :- (1) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन विरोध की कोई सूचना प्ररूप 14 में की जाएगी और नियंत्रक को उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर भेज दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विरोध की सूचना में अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें यदि कोई हों सम्मिलित होंगी, जो विरोधी आवेदन के मंजूर किए जाने के लिए तैयार हैं और इसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य लगा होगा ।

45. समुचित परीक्षण - 1 जनवरी, 1995 को या उसके पश्चात् किया गया और धारा 24ख में विनिर्दिष्ट समुचित परीक्षण पूर्णतः या उसका भाग होंगे जिनको इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किया गया है ।

46. अनन्य विपणन अधिकारों को मंजूर करने का प्ररूप - विपणन अधिकारों को प्ररूप 28 में मंजूर किया जाएगा ।

47. अनन्य विपणन अधिकारों को विक्रय या वितरण अथवा प्रतिसंहरण करने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन - (1) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 84 धारा 85 या धारा 92 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी आदेश के लिए नियंत्रक को कोई आवेदन यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 20 में किया जाएगा जिसे यदि आवश्यक समझा जाए उपांतरित किया जाएगा । केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आवेदन की दशा के सिवाय, आवेदन में आवेदनकर्ता के हित की प्रकृति तथा अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें जिसको आवेदनकर्ता स्वीकार किए जाने का इच्छुक है, उपवर्णित होंगे ।

(2) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 84 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए नियंत्रक आवेदनकर्ता से विवरण और साक्ष्य मांग सकेगा ।

(3) नियंत्रक से किसी आदेश के प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता नियंत्रक के आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

48. जब कोई प्रथम-दृष्ट्या मामला नहीं बनता है - (1) यदि साक्ष्य पर विचार करने पर नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि नियम 47 में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन कोई आदेश करने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बना है तो वह तदनुसार आवेदन को अधिसूचित करेगा । जब तक आवेदक मामले में सुनवाई का अनुरोध नहीं करता तब तक नियंत्रक आवेदक द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान के पश्चात् आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर सुनवाई के लिए कोई अनुरोध करता है तो नियंत्रक आवेदक को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी या इसे नामंजूर किया जाएगा ।

49. अनन्य विपणन अधिकारों के अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी या प्रतिसंहरण के संबंध में विरोध की सूचना :- (1) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन विरोध की कोई सूचना प्ररूप 14 में की जाएगी और नियंत्रक को उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर भेज दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विरोध की सूचना में अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें यदि कोई हों सम्मिलित होंगी, जो विरोधी आवेदन के मंजूर किए जाने के लिए तैयार हैं और इसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य लगा होगा ।

(3) नियंत्रक आदेश द्वारा विरोधी से और साक्ष्य मांग सकता है यदि वह ऐसी वांछा करे ।

(4) उपनियम (3) के अधीन आदेश के प्राप्त होने पर विरोधी ऐसी तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(5) विरोधी अपने विरोध की सूचना की एक प्रति देगा और आवेदन पर अपना साक्ष्य भी देगा तथा नियंत्रक को, जब ऐसी सूचना की तामील की जाती है, अधिसूचित करेगा ।

(6) किसी भी पक्षकार द्वारा नियंत्रक की अनुमति या उसकी अपेक्षा के सिवाए कोई और विवरण या साक्ष्य भाग रूप में परिदत्त नहीं किया जाएगा ।

(7) नियंत्रक तत्पश्चात् मामले की सुनवाई की तारीख और समय नियत करेगा तथा ऐसी सुनवाई की दस दिन से अन्यून की सूचना पक्षकारों को देगा ।

(8) नियम 62 के उपनियम (2) से उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथासंभव इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को इस प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेंटों को मंजूर करने के विरोध की सुनवाई को लागू होती है ।

(9) नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (च) का उपबंध नियंत्रक द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति के मंजूर या नामंजूर करने के किसी विनिश्चय को लागू होगा ।

(10) जब विरोधी नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है तब नियंत्रक उस विनिश्चय का प्रवर्तन जिसके लिए पुनर्विलोकन का अनुरोध किया जा रहा है, पुनर्विलोकन के आवेदन के निपटान तक निलंबित कर देगा ।

50. अनन्य विपणन अधिकार के प्रतिसंहरण के आदेश के विज्ञापन की रीति - नियंत्रक वस्तु या पदार्थ के विक्रय या वितरण करने के अनन्य विपणन अधिकारों के प्रतिसंहरण के लिए धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 85 की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा किए गए आदेश को राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

51. किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन - (1) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 88 की उपधारा (4) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन जिसका नियंत्रक द्वारा निपटान कर दिया गया है प्ररूप 21 में यदि आवश्यक समझा जाए उपांतरित किया जा सकेगा और उसमें उन तथ्यों का कथन किया जाएगा जिनको आवेदक ने आधार बनाया है तथा वह अनुतोष जिसे वह चाहता है का भी कथन किया जाएगा तथा आवेदन के समर्थन में साक्ष्य भी लगा होगा ।

(2) यदि नियंत्रक का, यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति के निबंधनो और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो वह तदनुसार आवेदक को अधिसूचित करेगा और यदि आवेदक तीस दिन की अवधि के भीतर मामले में सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है तो नियंत्रक आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक आवेदक को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी या उसे नामंजूर कर दिया जाएगा ।

52. नियम 51 के अधीन आवेदन की दशा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - (1) यदि नियंत्रक आवेदन को कार्रवाई किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह यह निदेश होगा कि आवेदक के आवेदन की प्रतियां और उसके समर्थन में साक्ष्य अनन्य विपणन अधिकारों के धारक को दे या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को दे, जिसको उसकी राय में ऐसी प्रतियां दी जानी चाहिए ।

(2) आवेदक नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको आवेदन की प्रतियां और साक्ष्य अनन्य विपणन अधिकारों के धारक और उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों को दी गई हैं ।

(3) अनन्य विपणन अधिकार का धारक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे आवेदन और साक्ष्य की प्रतियां दी गई हैं नियंत्रक को प्ररूप 14 में विरोध की एक सूचना ऐसी तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर दे सकेगा जो यदि आवश्यक समझी जाए उपांतरित की जा सकेगी । ऐसी सूचना में वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जिनको विरोध द्वारा आधार बनाया गया है और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य लगे होंगे ।

(4) विरोधी विरोध की सूचना की प्रतियां और साक्ष्य आवेदक को तामील करेगा/देगा तथा नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिनको उसकी तामील की गई है ।

(5) कोई साक्ष्य या विवरण किसी पक्षकार द्वारा तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक द्वारा इजाजत या अपेक्षा नहीं की जाती है ।

(6) उपनियम (1) से उपनियम (5) तक की कार्यवाहियों की समाप्ति पर या ऐसे अन्य समय पर जो वह उपयुक्त समझे नियंत्रक मामले की सुनवाई की कोई तारीख और समय तुरंत नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई की दस दिन से अन्यून की सूचना देगा ।

(7) नियम 62 के उपनियम (2) से उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथासंभव इस नियम के अधीन सुनवाईयों को इस प्रकार लागू होगी, जैसे वे किसी पेटेंट को मंजूर करने के विरोध की सुनवाई को लागू होते हैं ।

(8) यदि नियंत्रक अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करने का विनिश्चय करता है तो आवेदक को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को ऐसी रीति में संशोधित करेगा जिसे वह आवश्यक समझे ।

53. लोकहित के प्रतिनिर्देश - धारा 24घ की उपधारा (1) में लोकहित के प्रतिनिर्देश से, किसी राष्ट्रीय आपात या अत्यावश्यकता की अन्य परिस्थितियों में जनता की आवश्यकता अभिप्रेत होगी ।

54. अनन्य विपणन अधिकार रजिस्टर - (1) एक रजिस्टर रखा जाएगा जो अनन्य विपणन अधिकारों के रजिस्टर के नाम से ज्ञात होगा तथा उसकी एक प्रति शाखा कार्यालयों में उपलब्ध होगी तथा उसमें अनन्य विपणन अधिकारों से संबंधित सभी प्रविष्टियां की जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रखा गया रजिस्टर नियंत्रक को लिखित में इस आशय के लिए किए जाने वाले किसी अनुरोध पर पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ जनता को उपलब्ध रहेगा ।

(3) अनन्य विपणन अधिकार रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति नियंत्रक को इस आशय के लिए गए अनुरोध पर प्रदाय की जाएगी ।

अध्याय 6

पेटेंट देने का विरोध

55. विरोध की सूचना दाखिल करना - धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली विरोध की सूचना प्ररूप 7 में दी जाएगी और नियंत्रक को दो प्रतियों में भेजी जाएगी ।

56. धारा 25(1) के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन - (1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन पेटेंट दिये जाने के विरोध की सूचना देने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन प्ररूप 4 में और समुचित कार्यालय में सम्पूर्ण विनिर्देश स्वीकार होने की तारीख से चार मास के भीतर किया जाएगा और उसमें समय बढ़ाये जाने की मंजूरी के लिए कारण दिए होंगे ।

(2) समय बढ़ाने के लिए आवेदन की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेंट के लिए आवेदक को भेजी जाएगी ।

57. विरोध और साक्ष्य का लिखित कथन फाइल करना :- विरोधी एक लिखित कथन जिसमें विरोधी के हित की प्रकृति, वे तथ्य जिनको वह अपने मामले के अधीन बनाता है तथा वह अनुतोष जो वह चाहता है तथा अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य, यदि कोई हो, विरोध की सूचना सहित, विरोध की सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर भेजेगा और आवेदक को कथन और साक्ष्य की एक प्रति परिदत्त करेगा ।

58. उत्तर कथन फाइल करना - (1) यदि आवेदक विरोधी के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है तो वह समुचित कार्यालय में एक उत्तर कथन जिसमें उन आधारों को जिस पर वह विरोध करना चाहता है और साक्ष्य यदि कोई हो नियम 57 के अधीन लिखित कथन की प्रति और विरोधी के साक्ष्यों की यदि कोई हो, प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर और विरोध को प्रत्येक की एक प्रति परिदत्त करेगा ।

(2) यदि आवेदक विरोधी कार्यवाही नहीं करना चाहता है या उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना उत्तर और साक्ष्य परिदत्त नहीं करना चाहता है तो पेटेंट के लिए आवेदन का परित्याग किया गया समझा जाएगा।

59. विरोधी द्वारा उत्तर साक्ष्य फाइल करना - विरोधी, नियम 58 के अधीन आवेदक के उत्तर कथन और साक्ष्य की एक प्रति उसको परिदत्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर समुचित कार्यालय में उत्तर साक्ष्य जो आवेदक के साक्ष्य के मामले से प्रत्यक्षतः संबंधित ही होगा और ऐसे साक्ष्य की एक प्रति आवेदक को परिदत्त करेगा ।

60. नियंत्रक की इजाजत से अतिरिक्त साक्ष्य का दिया जाना - नियंत्रक की इजाजत या उसके निदेशों के बिना किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य परिदत्त नहीं किया जाएगा :

परंतु ऐसी इजाजत या निदेश के लिए प्रार्थना नियंत्रक के नियम 62 के अधीन सुनवाई नियत करने से पूर्व की गई है ।

61. दस्तावेजों का कितनी प्रतियों में दिया जाना - (1) विरोध के संबंध में दाखिल की गई और नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में अधिप्रमाणित की गयी विरोध की सूचना में या किसी कथन या साक्ष्य में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की दो प्रतियां, जब तक नियंत्रक अन्यथा निदेश न दे साथ-साथ दी जायेंगी।

(2) जहां सूचना, कथन या साक्ष्य में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में विनिर्देश या अन्य दस्तावेज का निदेश हो तो उसका अंग्रेजी में अनुप्रमाणित अनुवाद यथास्थिति ऐसी सूचना कथन या साक्ष्य सहित दो प्रतियों में दिया जाएगा ।

62. सुनवाई - (1) साक्ष्य के, यदि कोई हो, प्रस्तुतीकरण के पूरा होने पर या ऐसे अन्य समय पर, जो नियंत्रक ठीक समझे, वह विरोधी पक्ष की सुनवाई के लिए तुरंत तारीख और समय नियत करेगा और ऐसी सुनवाई की पक्षकारों को दस दिन से अन्यून की सूचना देगा ।

(2) यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार सुने जाने की इच्छा रखता है तो वह नियंत्रक को पहली अनुसूची में यथानिर्दिष्ट फीस सहित सूचना द्वारा इतिला देगा ।

(3) नियंत्रक, किसी ऐसे पक्षकार को जिसने उप-नियम (2) के अधीन सूचना न दी हो, सुनने से इन्कार कर सकेगा ।

(4) यदि किसी पक्षकार का सुनवाई के समय किसी ऐसे प्रकाशन का, जो पहले से सूचना, कथन या साक्ष्य में वर्णित न हो पर विश्वास करने का आशय हो तो वह अपने आशय की कम से कम पांच दिन की सूचना दूसरे पक्षकार को और नियंत्रक को देगा और इसके साथ ऐसे प्रत्येक प्रकाशन के जिन पर विश्वास करने का उसका आशय हो ब्यौरे देगा ।

(5) सुने जाने की इच्छा वाले पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात अथवा किसी पक्षकार के सुनवाई न चाहने पर सुनवाई के बिना ही नियंत्रक विरोध का तुरंत विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की उसके कारणों सहित अधिसूचना पक्षकारों को देगा ।

63. खर्चों का अवधारण - यदि आवेदक विरोध की सूचना दी जाने के पश्चात, नियंत्रक को यह अधिसूचित करे कि वह अपने आवेदन को अग्रसर नहीं करना चाहता तो नियंत्रक मामले के गुणावगुण को आधार मानते हुए यह विनिश्चित कर सकेगा कि तिरोधी को खर्चा दिलवाया जाए या नहीं ।

64. वह समय, जिसके भीतर धारा 27 के अधीन सम्पूर्ण विनिर्देश संशोधित किया जाएगा - जिस समय के भीतर कोई आवेदक धारा 27 के अधीन नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में अपना सम्पूर्ण विनिर्देश संशोधित करेगा, वह समय नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रज्ञापन की तारीख से दो मास होगा ।

65. अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया - (1) यदि विनिर्देश नियम 64 के अधीन

(2) किए गए दावे की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेंट के हर आवेदक को (जो दावेदार न हो) और किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हितबद्ध समझे, भेजी जाएगी।

68. धारा 28 की उपधारा (7) के अधीन किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप - (1) धारा 28 की उपधारा (7) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप 8 में किया जाएगा और जिन परिस्थितियों के अधीन आवेदन किया गया है उनको उपवर्णित करते हुए एक विवरण भी उसके साथ होगा।

(2) आवेदन की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा, यथा स्थिति, हर पेटेंटधारी को या पेटेंट के आवेदक को और किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हितबद्ध समझे, भेजी जाएगी।

69. धारा 28 के अधीन दावे या किसी आवेदन की सुनवाई के लिए प्रक्रिया - विरोध की सूचना, लिखित कथन, उत्तर-कथन के दाखिल करने से साक्ष्य के छोड़ने से तथा सुनवाई से संबंधित नियम 55 और 57 से 63 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया धारा 28 के अधीन किसी दावे या आवेदन की सुनवाई को, इस उपान्तरण के अध्याधीन कि आवेदक के प्रति निर्देश का अर्थ, यथास्थिति, दावा या कोई कोई आवेदन करने वाले व्यक्ति के प्रति लगाया जाएगा, यावत्साध्य, इस प्रकार लागू होगी जैसे कि पेटेंट के अनुदान के विरोध में कार्यवाहियों को लागू होती हैं।

70. आविष्कारक का उल्लेख - धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आविष्कर्ता का कोई भी उल्लेख सुसंगत दस्तावेजों में निम्नलिखित प्ररूप में किया जाएगा, अर्थात् :-

“पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 28 के अर्थान्तर्गत इस आविष्कार/इस आविष्कार के सारवान भाग का आविष्कारक - - - - - का - - - - -
- - है।”

अध्याय 7

गोपनीयता निदेश

71. धारा 39 के अधीन भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने के लिए अनुमति - भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने की अनुमति के लिए अनुरोध प्ररूप 30 पर किया जायेगा।

72. धारा 36(2) के अधीन पुनर्विचार के परिणाम की संसूचना :- धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक पुनर्विचार का परिणाम नियंत्रक को सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर पेटेंट के आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(2) धारा 38 के अधीन गोपनीयता के निदेशों के प्रतिसंहरण पर समय का बढ़ाया जाना :- धारा 38 के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित या करने के लिए प्राधिकृत किसी बात के लिए समय उस अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसके लिए धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश प्रवृत्त थे।

अध्याय-8

पेटेन्टों का मुद्रांकन

73. पेटेन्टों का मुद्रांकन – (1) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकन की प्रार्थना प्ररूप 9 में की जाएगी ।

(2) वह अवधि, जिसके भीतर पेटेन्ट के मुद्रांकन की प्रार्थना धारा 43 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन की जा सकेगी, उस खण्ड में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के अन्तिम अवधारण के पश्चात् दो मास होगी ।

(3) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्ररूप 4 में किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन पेटेंट के मुद्रांकन के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर भले ही पेटेंट की अवधि समाप्त हो गई हो, पेटेंट मुद्रांकित किया जाएगा ।

74. पेटेन्ट का प्ररूप -- पेटेन्ट ऐसे उपान्तरणों - सहित जैसा कि हर मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित है, चतुर्थ अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट प्ररूप में दो प्रतियों में होगा और उस पर नियम 37 के अधीन आवेदन के लिए दी गई संख्या अंकित होगी ।

75. धारा 44 के अधीन पेटेन्ट में संशोधन-- पेटेन्ट में संशोधन के लिए धारा 44 के अधीन आवेदन प्ररूप 10 में किया जाएगा और सिद्ध करने वाला साक्ष्य तथा पेटेन्ट उसके साथ होंगे ।

76. धारा 51(1) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन करने की रीति -- (1) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप 11 में किया जाएगा और उसके साथ उन तथ्यों को, जिन पर आवेदक निर्भर करता है उपवर्णित करने वाला विवरण भी होगा ।

(2) आवेदन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेन्ट की प्राप्तिकर्ता या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हर अन्य व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

77. धारा 51(2) के अधीन आवेदन की रीति -- (1) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप 11 में किया जाएगा और उसके साथ उन तथ्यों का, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, उपवर्णन करने वाला एक विवरण भी होगा ।

(2) आवेदन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा व्यतिक्रमी को भेजी जाएगी ।

78. धारा 51 के अधीन कार्यवाहियों को सुनवाई करने के लिए प्रक्रिया -- लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने सुनवाई और लागत के संबंध में नियम 55 और 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 51 के अधीन आवेदन की सुनवाई को यावत्सक्य उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

79. धारा 52 (2) के अधीन अनुरोध - (1) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप 12 में किया जाएगा और उसके साथ जिन तथ्यों पर आर्जीदार निर्भर करता है उन्हें उपवर्णित करने वाला विवरण और वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी होगी :

(2) जहां न्यायालय ने आवेदक को आविष्कार के केवल एक भाग के लिए ही पेटेन्ट की मंजूरी अनुज्ञात की हो वहां मंजूर किए गए नए पेटेन्ट को संख्याओं की उसी आवलि में संख्या दी जाएगी जिस आवलि में उस दिन जिस को पेटेन्ट मंजूर किया गया है स्वीकार किए गए पूर्ण विनिर्देशों को दी गई हैं ।

80. धारा 53 के अधीन नवीकरण फीस - (1) पेटेन्ट को प्रवृत्त रखने के लिए पेटेन्ट की तारीख से द्वितीय वर्ष के या किसी उत्तरवर्ती वर्ष के अवसान पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस देना होगी और वह द्वितीय वर्ष या उत्तरवर्ती वर्ष के अवसान से पूर्व पेटेन्ट कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी ।

- (2) नवीकरण फीस देते समय संबंधित पेटेन्ट की संख्या और वह वर्ष जिसकी बाबत फीस दी गई है, कथित किया जाएगा ।
- (3) दो या अधिक वर्ष की बाबत संदेय वार्षिक नवीकरण फीस अग्रिम दी जा सकेगी ।
- (4) नियंत्रक किसी पेटेन्ट की बाबत संदेय नवीकरण फीस के जमा करने पर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि फीस संदेय कर दी गई है ।

अध्याय-9

आवेदन, विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज का संशोधन

81. आवेदन या विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज का संशोधन - (1) किसी पेटेन्ट या संपूर्ण विनिर्देश के लिये आवेदन या उससे संबंधित किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए धारा 57 के अधीन आवेदन प्ररूप 13 में किया जाएगा ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन पेटेन्ट के लिए उस आवेदन से संबंधित है जो मंजूर नहीं किया गया है तो नियंत्रक यह अवधारित करेगा कि क्या और किन शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए संशोधन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) (क) यदि उपनियम (1) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के पश्चात् किया जाता है और प्रस्तावित संशोधन की प्रवृत्ति सारवान है तो आवेदन राजपत्र में विज्ञापित किया जाएगा :-

(ख) संशोधन के लिए आवेदन का विरोध करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की तारीख में तीन मास के अन्दर, अपने विरोध की सूचना प्ररूप 14 में नियंत्रक को देगा ।

(ग) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने सुनवाई और लागत के संबंध में नियम 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 57 के अधीन विरोध पक्षकार की सुनवाई को, यावत्साक्ष्य, उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

82. संशोधित विनिर्देश आदि, तैयार करना - जहां नियंत्रक पेटेन्ट के आवेदन या संपूर्ण विनिर्देश या किसी अन्य दस्तावेज में संशोधन किया जाना अनुज्ञात करता है वहां आवेदक, यदि नियंत्रक ऐसी अपेक्षा करे और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के अन्दर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, संशोधित आवेदन या विनिर्देश या किसी अन्य दस्तावेज देगा ।

83. अनुज्ञात संशोधनों का विज्ञापन:- संपूर्ण विनिर्देश के स्वीकार किए जाने के पश्चात् राजपत्र में विज्ञापित किए जाएंगे ।

अध्याय 10

पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन

84. पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन - (1) धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन प्ररूप 15 में किया जाएगा ।

(2) जहाँ नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि किसी पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए प्रथम द्रष्ट्या मामला नहीं बन पाया है वहाँ वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा और आवेदक जब तक ऐसी सूचना की तारीख से एक मास के भीतर मामले में सुनवाई की प्रार्थना न करे, तो नियंत्रक आवेदन नामंजूर कर देगा ।

(3) जहाँ आवेदक अनुज्ञात समय के अन्दर सुनवाई के लिए प्रार्थना करता है और यदि आवेदक की सुनवाई करने पर नियंत्रक का प्रथम-द्रष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि नवीकरण फीस का संदाय न करना अनाशयित था वहाँ वह आवेदन को राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

85. धारा 61 के अधीन प्रत्यावर्तन का विरोध - (1) धारा 84 की उपधारा (3) के अधीन राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की तारीख के दो मास के अन्दर किसी भी समय कोई भी हित बद्ध व्यक्ति उसके विरोध की सूचना प्ररूप 14 में दे सकता है ।

(2) विरोध की सूचना की एक प्रति नियंत्रक द्वारा आवेदक को भेजी जाएगी ।

(3) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने, सुनवाई और लागत के सम्बन्ध में नियम 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 60 के अधीन विरोध की सुनवाई को, यावत्साक्ष्य उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

86. असंदत नवीकरण फीस का संदाय -- (1) जहाँ नियंत्रक आवेदक के पक्ष में विनिश्चय करता है वहाँ आवेदक असंदत नवीकरण फीस और प्रथम अनुसूचित में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस आवेदन का प्रत्यावर्तन अनुज्ञात करने वाले आदेश की तारीख से एक मास के भीतर संदत्त करेगा।

(2) नियंत्रक अपने विनिश्चय को राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

अध्याय-11 पेटेन्टों का अभ्यर्पण

87. पेटेन्टों का अभ्यर्पण -- (1) नियंत्रक धारा 63 के अधीन दी गई प्रस्थापना की सूचना को राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

(2) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में सूचना के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर नियंत्रक को उसका विरोध करने की सूचना प्ररूप 14 में दो प्रतियों में देगा।

(3) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने, सुनवाई और लागत के संबंध में नियम 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 63 के अधीन विरोधी पक्षकार की सुनवाई को, यावत्साक्ष्य, उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई के लागू होती है।

(4) यदि नियंत्रक पेटेन्टधारी की अभ्यर्पण की प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है तो वह पेटेन्टधारी को पेटेन्ट लौटाने का निदेश दे सकेगा और उस पेटेन्ट को प्राप्त करने पर नियंत्रक, आदेश द्वारा, उसे प्रतिसंहत करेगा और पेटेन्ट के प्रतिसंहरण को राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

अध्याय-12 पेटेन्टों का रजिस्टर

88. धारा 67 के अधीन पेटेन्टों का रजिस्टर -- (1) पेटेन्ट के मुद्रांकित होने पर नियंत्रक, उसके पेटेन्टधारी के रूप में प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रिकता, आविष्कार का नाम, (जिसके अन्तर्गत वे प्रवर्ग भी हैं जिनसे आविष्कार सम्बन्धित हैं) पेटेन्ट की तारीख और उसके मुद्रांकन की तारीख से तामील के लिए पेटेन्टधारी के पते सहित, प्रत्येक समुचित कार्यालय में पेटेन्ट के रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(2) नियंत्रक, प्रत्येक पेटेन्ट के बारे में नियंत्रक या न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित प्रविष्टियों को भी पेटेन्ट के रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(3) जहां पेटेंट अभिकर्ताओं का रजिस्टर कम्प्यूटर फ्लॉपियों, डिस्कट्स या क्रिन्हीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में है, तो इसे केवल उस व्यक्ति द्वारा जो नियंत्रक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है रखा जाएगा और उसकी पहुंच में होगा और उक्त रजिस्टर में कोई प्रविष्टि या किसी प्रविष्टि का परिवर्तन या किसी प्रविष्टि का अनुसमर्थन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा जो नियंत्रक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत नहीं है ।

89. धारा 68 के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण- धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 16 में किया जाएगा ।

90. पेटेंटों में हक और हित का रजिस्ट्रीकरण - (1) धारा 69 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी दस्तावेज के लिए आवेदन प्ररूप 17 में दिया जाएगा ।

(2) ऐसी किसी अन्य दस्तावेज की जो दस्तावेज के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पेटेंट की स्वत्वधारिता को प्रभावित करने के लिए, तात्पर्यित है पेटेंट के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के लिए कोई आवेदन प्ररूप 17 में किया जाएगा ।

91. पेटेंट के समनुदेशन आदि का नियंत्रक को प्रस्तुत करना -- प्रत्येक समनुदेशन और प्रत्येक अन्य दस्तावेज, जो पेटेंट के संक्रमण, का प्रभाव देने वाला या उसका साक्ष्य हो या ऐसे आवेदन में यथा दावाकृत उसकी स्वत्वधारिता को प्रभावित करने वाला या उसमें हित का सृजन करने वाला हो, जब तक कि नियंत्रक अन्यथा निदेश न दे, तब तक एक आवेदन के साथ उसे प्रस्तुत की जाएंगी जिसके साथ समनुदेशन या अन्य दस्तावेज की दो प्रतियां जो आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा सत्य प्रतिलिपियों के रूप में प्रमाणित हो, भी होंगी और नियंत्रक, हक या लिखित सहमति का ऐसा अन्य सबूत मांग सकेगा जिसकी उसे अपेक्षा हो ।

92. पेटेंट के हक या हित का रजिस्ट्रीकरण - धारा 69 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियंत्रक, यथास्थिति, पेटेंट में संबंधित व्यक्ति के हक या उसमें उसके हित को रजिस्ट्रीकृत करेगा और रजिस्टर में निम्नलिखित प्ररूप में प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्-

“.....को प्राप्त आवेदन के अनुसरण में.....एक पक्षकार और.....अन्य पक्षकार के बीच किए गए समनुदेशन, अनुज्ञप्ति, बन्धक विलेख आदि तारीख.....के आधार पर स्वत्वधारी, अनुज्ञप्तिधारी, बंधकदार, आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।”

93. नवीकरण फीस की प्रविष्टि -- पेटेंट की बाबत विहित नवीकरण फीस का संदाय प्राप्त होने पर, नियंत्रक पेटेंटों के रजिस्टर में यह तथ्य कि फीस का संदाय कर दिया गया है और ऐसी फीस के संदाय की तारीख की प्रविष्टि करेगा और संदाय का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

94. पते में परिवर्तन -- (1) कोई भी पेटेंटधारी अपने नाम, राष्ट्रिकता, पते या उसको मंजूर किए गए किसी पेटेंट की पेटेंटों के रजिस्टर में तामील के लिए यथा प्रविष्टि किए गए

पते के परिवर्तन के लिए नियंत्रक को संदेय फीस सहित लिखित में निवेदन कर सकेगा। नियंत्रक, नाम और राष्ट्रीयता में परिवर्तन के लिए निवेदन पर कोई कार्रवाई करने के पूर्व परिवर्तन के लिए ऐसे सबूत की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि नियंत्रक उपनियम (1) के अधीन किए गए निवेदन को अनुज्ञात करता है, तो वह तदनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों में परिवर्तन कराएगा।

(3) यदि कोई पेटेन्टधारी भारत में तामील के लिए किसी अतिरिक्त पते की प्रविष्टि के लिए संदेय फीस सहित लिखित में निवेदन करे और यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि निवेदन को अनुज्ञात किया जाना चाहिए, तो वह रजिस्टर में तामील के लिए अतिरिक्त पते की प्रविष्टि करा देगा।

95. धारा 72 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर का निरीक्षण और उसके लिए संदेय फीस -

(1) पेटेंट का रजिस्टर प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर कार्यालय-समय में जनता के निरीक्षणार्थ खुला रहेगा।

(2) जब पेटेन्ट का रजिस्टर या उसका कोई भाग कम्प्यूटर फ्लापियों, डिस्कट्स या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में है तब नियम 88 के उपनियम (3) के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की कम्प्यूटर फ्लापियों डिस्कट्स या अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में या उसके अभिलेख के प्रिंट ऑउट तक पहुँच होगी।

अध्याय - 13

अनिवार्य अनुज्ञप्ति और प्रतिसंहरण :

96. अनिवार्य अनुज्ञप्ति आदि के लिए आवेदन - (1) धारा 84 धारा 85 धारा 91 या धारा 92 के अधीन किसी आदेश के लिए नियंत्रक को किया जाने वाला आवेदन यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 20 में किया जाएगा। उस दशा को छोड़कर जिसमें आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो, आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति का और अनुज्ञप्ति के उन परिणामों और शर्तों का जो आवेदक को परीकार्य में प्राप्त हों, वर्णन होगा।

98. धारा 87(2) के अधीन विरोध की सूचना - (1) धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन विरोध की सूचना प्ररूप 46 में दो प्रतियों में दी जाएगी और उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के विज्ञापन की तारीख से दो मास के भीतर नियंत्रक को भेजी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विरोध की सूचना में अनुज्ञापित के वे निबन्धन और शर्तें, यदि कोई हों, होंगी जिन्हें विरोधी पक्षकार आवेदक को अनुदत्त करने के लिए तैयार है और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य होगा ।

(3) विरोधी पक्षकार अपने विरोध की सूचना और साक्ष्य की एक प्रति आवेदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको ऐसी तामील की गई है ।

(4) नियंत्रक द्वारा विरोध की इजाजत दिए जाने या मांग किए जाने पर ही दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त कथन या साक्ष्य दिया जाएगा ।

(5) नियंत्रक तुरंत मामले की सुनवाई के लिए तारीख और समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए कम से कम दस दिन की सूचना देगा ।

(6) नियम 62 के उपनियम (2) से (5) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को, यावत्साक्ष्य उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेंट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

99. प्रतिसंहरण आदेश के विज्ञापन की रीति

नियंत्रक, उसके द्वारा धारा 85 की उपधारा (3) के अधीन, पेटेंट का प्रतिसंहरण करने वाला आदेश, राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

100. धारा 88 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन - (1) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों, जो नियंत्रक द्वारा तय की गई हों, के पुनरीक्षण के लिए धारा 88 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्ररूप 21 में किया जाएगा और उसमें उन तथ्यों, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, और ईप्सित अनुतोष का उल्लेख होगा और इसके साथ आवेदन के समर्थन में साक्ष्य होगा ।

(2) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा और जब तक कि आवेदन मामले में सुनवाई के लिए एक मास के अन्दर प्रार्थना न करें, नियंत्रक आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर आगे कार्यवाही की जाए की जाए अथवा आवेदन को नामंजूर कर दिया जाए ।

101. धारा 88(4) के अधीन आवेदनों की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया --

(1) यदि नियंत्रक आवेदन पर आगे कार्यवाही अनुज्ञात करता है तो वह आवेदक को निदेश देगा कि वह आवेदन और उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रतियां पेटेन्टधारी पर या रजिस्टर में के किसी अन्य व्यक्ति पर जो पेटेन्ट में हितबद्ध प्रतीत हो या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति पर तामील करे जिसे उसकी राय में ऐसी प्रतियों की इस प्रकार तामील की जानी चाहिए ।

(2) आवेदक नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको आवेदन और साक्ष्य की प्रतियों की तामील उपनियम (1) में निर्दिष्ट पेटेन्टधारी और किन्हीं अन्य व्यक्तियों पर की गई है ।

(3) पेटेन्टधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आवेदन और साक्ष्य की प्रतियों की तामील की गई है, नियंत्रक को विरोध की सूचना प्ररूप 14 में ऐसी तामील की तारीख से एक मास के अन्दर दे सकेगा । ऐसी सूचना में वे आधार होंगे जिन पर विरोधी पक्षकार निर्भर करता है और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य होगा ।

(4) विरोधी पक्षकार विरोध की सूचना और अपने साक्ष्य की प्रतियां आवेदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको ऐसी तामील की गई है ।

(5) नियंत्रक द्वारा विशेष इजाजत दिए जाने या मांग किए जाने के सिवाय दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य या कथन दाखिल नहीं किया जाएगा ।

(6) उपरोक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर नियंत्रक मामले की सुनवाई के लिए तुरंत तारीख और समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए कम से कम दस दिन की सूचना देगा ।

(7) नियम 62 के उपनियम (2) से (5) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त

(8) यदि नियंत्रक अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय करे तो वह आवेदक को सूचना दी गई अनुज्ञप्ति को ऐसी हीति से ले कर आवेदक को सूचना दी जाएगी

- (4) कोई और साक्ष्य या कथन किसी भी पक्षकार द्वारा नियंत्रक की अनुमति के बिना या अध्यपेक्षा के बिना फाइल नहीं किया जाएगा ।
- (5) उपर्युक्त कार्रवाहियों के पूरा होने पर नियंत्रक मामले के सुनवाई की तारीख और समय तुरंत नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए दस दिन से कम का समय नहीं देगा ।
- (6) नियम 62 के उपनियम (2) से उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया जहां तक वह इस नियम के अधीन सुनवाई के लिए प्रक्रिया को लागू होती है उसी प्रकार लागू होगी । प्रक्रिया के विरुद्ध पक्षकार को पेटेंट अनुज्ञापन किए जाने पर उसी प्रकार लागू होगी ।
- (7) यदि नियंत्रक अनिवार्य अनुज्ञापन को समाप्त करने का विनिश्चय करता है तो, वह ऐसी समाप्ति के निबंधनों और शर्तों, यदि कोई हों, को देते हुए कोई आदेश जारी करेगा और उस आदेश की प्रतियां दोनों पक्षकारों पर तामील की जाएंगी ।

नामावली में वैज्ञानिक सलाहकारों के नाम और पता उनके पदाभधान, उनका शासक अहता के बारे में सूचना, उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और उनकी तकनीकी, व्यावहारिक और अनुसंधान का अनुभव होगा ।

(2) कोई व्यक्ति वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में अपना नाम प्रविष्टि करवाने के लिए तब अर्हित होगा, यदि वह—

- (i) विज्ञान, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य रखता हो ;
- (ii) कम से कम पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव रखता हो; और
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विज्ञानिक या तकनीकी विभाग में या किसी संगठन में उत्तरदायी पद धारण करता हो ।

104. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में समावेश किए जाने के लिए आवेदन की रीति- कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना वायोडाटा देने पर अपना नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन कर सकता है ।

105. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का समावेश-नियंत्रक नियम 103 और 104 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, यह राय हो कि ऐसे व्यक्ति का वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में प्रवेश होना चाहिए, तो वह वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट कर सकेगा ।

106. शिथिल करने की शक्ति - जहां नियंत्रक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर किसी व्यक्ति के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अन्यथा सुअर्हित हो, नियम 103 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी अर्हता को शिथिल कर सकेगा ।

107. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से नामों का हटाया जाना - नियंत्रक किसी भी व्यक्ति का नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से हटा सकेगा यदि -

(क) ऐसा व्यक्ति इस प्रकार हटाए जाने के लिए प्रार्थना करे या

सारवान तथ्य के दुर्य्यपदेशन या दबाने के कारण नामावली में दर्ज किया गया है : या

(ग) ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो और

(2) जहां पेटेंट अभिकर्ताओं का रजिस्टर कम्प्यूटर फ्लॉपीयो, डिस्कट्स या किन्हीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में है, तो इसे केवल उस व्यक्ति द्वारा जो नियंत्रक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है रखा जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा और उक्त रजिस्टर में कोई प्रविष्टि या किसी प्रविष्टि का परिवर्तन या किसी प्रविष्टि का अनुसमर्थन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा जो नियंत्रक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत नहीं है ।

109. पेटेंट अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) प्रत्येक वह व्यक्ति जो एक पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की इच्छा करे, प्ररूप 23 में आवेदन करेगा ।

(2) आवेदक ऐसी अन्य जानकारी देगा जो नियंत्रक द्वारा आपेक्षित हो ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 110 के अधीन अर्हक परीक्षा में शामिल होने की बांछा करता है, वह प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ नियंत्रक को अनुरोध करेगा ।

110. पेटेंट अभिकर्ता के लिए अर्हक परीक्षा की विशिष्टियां - (1) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) (ii) में निर्दिष्ट अर्हक परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी ।

(2) अर्हक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र और अंक होंगे अर्थात:-

प्रश्न पत्र 1	-	पेटेंट अधिनियम और नियम	100
प्रश्न पत्र 2	-	पेटेंट विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों का प्ररूपण और निर्वचन	100
		मौखिक परीक्षा	100

(3) प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र और मौखिक परीक्षा के लिए अर्हत अंक पचास प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण केवल तभी घोषित किया जाएगा जब वह कुल अंकों के साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करे ।

111. पेटेंट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - अभ्यर्थी के नियम 110 में विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् और नियंत्रक जो आवश्यक समझे वह और जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात्, प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर वह पेटेंट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश करेगा और उसे पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

112. पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में समाविष्ट किए जाने वाले ब्यौरे- धारा 126 की उपधारा (2) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार व्यक्ति द्वारा प्ररूप 23 में भी आवेदन किया जाएगा ।

113. धारा 126(2) के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - नियंत्रक, नियम 112 के अधीन किसी व्यक्ति से पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यदि उसका समाधान हो जाए कि उक्त व्यक्ति धारा 126 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है उसका नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज कर सकता है ।

114. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं - कोई व्यक्ति पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह-

- (i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत किया गया हो ;
- (ii) अनुमोचित दिवालिया हो ;
- (iii) उन्मोचित दिवालिया होने पर भी, उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवचार के बिना ही दुर्भाग्य था ;
- (iv) भारत में या भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास का दण्ड दिया गया है, जब तक कि जिस अपराध का उसे सिद्धदोष ठहराया गया है वह क्षमा न कर दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने इस निमित्त आदेश द्वारा, निर्योग्यता हटा न दी हो ;
- (v) विधि-व्यवसायी होते हुए वृत्तिक अवचार का दोषी है : और
- (vi) चार्टर्ड एकाउन्टेड होते हुए उपेक्षा या अवचार का दोषी है ।

115. फीस का संदाय - किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर बना रहेगा ।

116. किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाया जाना --(1) नियंत्रक, किसी भी रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता का नाम--

- (क) जिससे इसका अनुरोध प्राप्त हुआ हो ; या
- (ख) जब वह मर गया हो , या
- (ग) जब नियंत्रक ने धारा 130 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के नाम को काट दिया हो , या
- (घ) जब उसने नियम 115 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय में उनके देय होने के तीन मास पश्चात तक व्यक्तिक्रम किया हो, काट सकेगा ।

(2) किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाए जाने को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और तुरंत सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा ।

117. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से हटाए गए व्यक्तियों के नामों का प्रत्यावर्तन - (1) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाए गए किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन ऐसे हटाए जाने की तारीख से दो मास के भीतर प्ररूप 24 में दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तो जिस तारीख को उसकी अन्तिम वार्षिक फीस देय हुई उससे एक वर्ष की अवधि तक उसका नाम उसमें रखा जाएगा ।

(3) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी नाम का प्रत्यावर्तन नियंत्रक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और सम्बन्धित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा ।

118. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नामों आदि में परिवर्तन - (1) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज अपने नाम, कारबार के मुख्य स्थान और शाखा कार्यालयों, यदि कोई हो, का पता या पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अर्हताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा, ऐसे आवेदन और उसके लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की प्राप्ति पर नियंत्रक, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करवाएगा ।

(2) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

119. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इन्कार - यदि नियंत्रक की यह राय हो कि अधिनियम के अधीन जैसा कि उसकी धारा 131 की उपधारा (1) में उपबन्धित है, किसी कारबार की बाबत किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए तो वह अपने कारण उस व्यक्ति को संसूचित करेगा और उसे, ऐसे समय के अन्दर जैसा वह अनुज्ञात करे, यह कारण बताने का निदेश देगा कि उसे ऐसे पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इन्कार क्यों न किया जाए और उस व्यक्ति के उत्तर पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नियंत्रक ऐसे आदेश देगा जैसे वह ठीक समझे ।

120. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं के नामों का प्रकाशन - पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नामों और पतों का प्रकाशन समय-समय पर राजपत्र में और ऐसे रीति में किया जाएगा, जैसा नियंत्रक ठीक समझे ।

अध्याय- 16

प्रकीर्ण

121. सूचनाओं का पता—

- (1) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी संसूचनाएं पेटेन्टों के नियंत्रक को समुचित कार्यालय पर संबोधित की जाएगी ।

122. लेखा गलतियों की शुद्धि —

धारा 78 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में किसी लेखन गलती के लिए अनुरोध के साथ दस्तावेज की प्रति अपेक्षित शुद्धियों को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए होगी और साथ ही जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो देय फीस होगी ।

123. किसी गलती की प्रस्तावित शुद्धि के विज्ञापन की रीति — जहां नियंत्रक यह उपेक्षा करे कि प्रस्तावित शुद्धि की प्रकृति की सूचना विज्ञापित की जाए, वहां निवेदन और प्रस्तावित शुद्धि की प्रकृति राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रस्तावित शुद्धियों को दर्शित करते हुए निवेदन की प्रतियां और दस्तावेज की प्रतियां ऐसे व्यक्ति पर भी तामील करेगा जो नियंत्रक की राय में आवेदन में हितबद्ध हों ।

124. शुद्धि करने के विरोध की रीति और समय — (1) कोई भी हितबद्ध राजपत्र में विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर किसी समय प्रस्तावित शुद्धि के विरोध के लिए प्रारूप 14 में दो प्रतियों में नियंत्रक को सूचना दे सकेगा ।

(2) विरोध की ऐसी सूचना के साथ विरोधी के हित की प्रकृति, वे तथ्य जिन पर वह निर्भर करता है और अनुतोष जो वह चाहता है को उपर्णित करने वाला कथन दो प्रतियों में होगा ।

(3) नियंत्रक द्वारा सूचना और कथन की एक प्रति अनुरोध करने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(4) नियम 58 से 63 में विनिर्दिष्ट उत्तर कथन दाखिल करने, साक्ष्य छोड़ने और सुनवाई और लागत से संबंधित प्रक्रिया यथासंभव, धारा 78 के अधीन विरोध की सुनवाई उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्टों के अनुदत्त किए जाने के विरोध की सुनवाई को लागू होती है ।

125. शुद्धियों की अधिसूचना --

नियंत्रक, शुद्धि के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति और सुसंगत दस्तावेज में की गई शुद्धियों के विरोधी, यदि कोई हो, को अधिसूचित करेगा ।

126. शपथ-पत्रों का प्ररूप आदि --

(1) उन शपथ-पत्रों पर जो इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा पेटेंट कार्यालय में दाखिल किए जाने के लिए या नियंत्रक को पेश किए जाने के लिए अपेक्षित हों, उपनियम (3) में यथाविहित रीति में सम्यक रूप से शपथ ली जाएगी।

(2) अन्तर्वर्ती मामलों को छोड़कर, जिनमें अभिसाक्षी के विश्वास करने के कथनों को स्वीकार किया जा सकता है, शपथ-पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित रहेंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपनी जानकारी से साबित करने में समर्थ हो, परन्तु यह तब तक जब कि उसके आधार दिए जाएं ।

(3) शपथ-पत्र में शपथ निम्नलिखित रूप में ली जाएगी:-

(क) भारत में-किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष, जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हो, या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष, जो यथा उपर्युक्त ऐसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने या शपथ-पत्र लेने के लिए सशक्त किया गया हो ;

(ख) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में, राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अर्थान्तर्गत ऐसे देश या स्थान के किसी राजनयिक या कौंसलिय अधिकारी के समक्ष या ऐसे देश या स्थान के नोटेरी के समक्ष जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 14 के अधीन मान्यता प्राप्त हा या उस देश या स्थान के न्यायधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष ।

(4) शपथ-पत्र की शपथ दिलाने या प्रतिसंज्ञान कराने के पूर्व उसमें के परिवर्तनों और अन्तरालेखनों को उस व्यक्ति के आद्यक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जिसके समक्ष शपथ-पत्र की शपथ ली गई हो ।

127. प्रदर्श -- जहां विरोध में या किसी अन्य कार्यवाही में प्रदर्श दाखिल किए जाने हों, वहां प्रत्येक प्रदर्श का अंकन या प्रति दूसरे पक्षकार को उसके निवेदन और खर्च पर दी जाएगी, यदि प्रदर्शों की प्रतियां या उनके अंकन सुविधाजनक रूप में नहीं दिये जा सकते हों, तो मूल प्रदर्शों को नियंत्रक के पास, पहले से समय नियत करने पर हितबद्ध पक्षकार के निरीक्षण के लिए छोड़ दिया जाएगा । यदि मूल प्रदर्शों पहले से ही नियंत्रक के पास न छोड़े गए हों, तो सुनवाई के समय उनको पेश किया जाएगा ।

128. निदेश जो अन्यथा विहित न हों -- (1) जहां इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के समुचित रूप से चलाने या पूर्ण करने के लिए, नियंत्रक की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के लिए किसी कार्य का करना, किसी दस्तावेज का दाखिल, करना या साक्ष्य पेश करना आवश्यक है, जिसके लिए इस अधिनियम या इन नियमों में व्यवस्था नहीं की गई है, वह लिखित सूचना द्वारा ऐसे पक्षकार से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करने, दस्तावेज दाखिल करने या साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहां कोई आवेदक या कार्यवाही का पक्षकार सुनवाई चाहता है अथवा नहीं नियंत्रक किसी भी समय उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह लिखित रूप में अपना कथन, ऐसी जानकारी, जो नियंत्रक आवश्यक समझे, देते हुए प्रस्तुत करें।

129. नियंत्रक द्वारा स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग -- अधिनियम या इन नियमों के अधीन पेटेंट के लिए किसी आवेदक या किसी कार्यवाही के पक्षकार के प्रतिकूल स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रक ऐसे आवेदक या पक्षकार को ऐसी कार्यवाही की न्यूनतम दस दिन की सूचना देने के पश्चात् सुनवाई करेगा।

130. नियंत्रक के विनिश्चयों के पुनर्विलोकन या उसके आदेशों को अपास्त करने के लिए आवेदन -- (1) नियंत्रक को, धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन उसके विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्ररूप 25 में आवेदक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से एक मास भीतर या तत्पश्चात् एक मास से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्ररूप 4 में अनुरोध करने पर नियंत्रक अनुज्ञात करे, किया जाएगा और उसके साथ एक कथन होगा जिसमें वे आधार वर्णित होंगे जिनके आधार पर पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है। जहां प्रश्नगत विनिश्चय आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, वहां उक्त आवेदन व कथन तीन प्रतियों में भेजा जाएगा। नियंत्रक आवेदन और कथन, प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अन्य व्यक्ति को तुरन्त प्रेषित कर देगा।

(2) नियंत्रक को धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन उसके द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन, आवेदक को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर या एक मास से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्ररूप में अनुरोध करने पर नियंत्रक अनुज्ञात करे, प्ररूप 25 में किया जाएगा और उसके साथ एक कथन होगा जिसमें वे आधार वर्णित होंगे जिन पर आवेदन आधारित है। जहां आदेश आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, वहां आवेदन और कथन तीन प्रतियों में भेजे जाएंगे। नियंत्रक आवेदन और कथन प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त प्रेषित कर देगा।

131. वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 146 (2) के अधीन अपेक्षित कथन भेजे जाने हैं - (1) वे कथन जो धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप 29 में प्रत्येक पेटेन्टधारी और प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे पेटेन्टधारी या अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट कथन प्रत्येक वर्ष के अवसान के तीन मास के भीतर भेजे जाएंगे ।

(3) नियंत्रक, धारा 146 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसे प्राप्त सूचना राजपत्र में आर ऐसी अन्य रीति में जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकेगा ।

132. पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन का प्ररूप - धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन में उन परिस्थितियों को, जिनमें पेटेन्ट खोया या नष्ट हुआ या पेश नहीं किया जा सका है, अंतर्विष्ट करने वाला कथन होगा, साथ में प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

133. धारा 72 और धारा 147 के अधीन प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों का प्रदाय करना - पेटेन्ट कार्यालय में रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां, या पेटेन्टों से, विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों, या वहां रखे रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों से उद्धरण जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर फ्लपी में अभिलेख डिस्कट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप भी है नियंत्रक द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर और प्रथम अनुसूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रदाय किए जा सकेंगे ।

134. धारा 153 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध - (1) किसी पेटेन्ट या पेटेन्ट के लिए आवेदन से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबंध में सूचना के लिए अनुरोध स्वीकार्य होगा, अर्थात् --

- (क) कि जब अनन्तिमविनिर्देश के पश्चात् पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया गया हो या पेटेन्ट के लिए आवेदन का परित्याग कर दिया गया समझा गया हो ;
- (ख) कि धारा 11 क के अधीन आवेदन वापस कर लिया गया हो ,
- (ग) कि धारा 11-ख के अधीन आवेदन को प्रकाशन किया गया हो ,
- (घ) कि धारा 11 ख के अधीन परीक्षण के लिए आवेदन किया गया हो,
- (ङ) कि धारा 12 के अधीन परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई हो ,
- (च) कि जब संपूर्ण विनिर्देश स्वीकार कर लिया गया हो या पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो ,
- (छ) कि जब पेटेन्ट मुद्रांकित किया गया हो या जब मुद्रांकित करने

का समय समाप्त हो गया हो ;

- (ज) कि जब नवीकरण फीस संदत की गई हो ;
- (झ) कि जब किसी पेटेन्ट की अवधि समाप्त हो गई हो या खत्म हो जाएगी ;
- () कि जब रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की गई हो या ऐसी प्रविष्टि करने के लिए आवेदन किया गया हो ; या
- (ट) कि जब रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या राजपत्र में विज्ञापन की अन्तर्वलित करने वाला कोई आवेदन किया गया हो या कार्यवाही की गई हो, यदि आवेदन या कार्यवाही की प्रकृति अनुरोध में विनिर्दिष्ट की गई हो ।

(2) अपेक्षित सूचना की प्रत्येक मद के संबंध में पृथक अनुरोध किया जाएगा ।

(3) धारा 153 के अधीन किए गए अनुरोध पर संदेय फीस वह होगी जो प्रथम अनुसूची में उपवर्णित है ।

135. अभिकरण -- (1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकरण, प्ररूप 26 में या मुख्तारनामा के प्ररूप में होगा ।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन कोई प्राधिकरण किया गया हो इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन हुई किसी अभिकर्ता पर किसी कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; किसी व्यक्ति को किसी कार्यवाही या मामले के संबंध में निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जा सकती है, और नियंत्रक के समक्ष उससे संबंधित सभी दृजरियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी मार्फत दी जा सकती है ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक, यदि यह आवश्यक समझे, किसी आवेदन, विरोधी या ऐसी कार्यवाही या विषय के पक्षकार के वैयक्तिक हस्ताक्षर या उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है ।

136. खर्चों के मापमान -- (1) नियंत्रक, अपने समक्ष सभी कार्यवाहियों में, नियम 63 के अधीन रहते हुए, मामले की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितना वह युक्तियुक्त समझे उतना खर्चा अधिनिर्णीत कर सकता है:

परन्तु यह कि चौथी अनुसूची में दिए गए किसी विषय के संबंध में अधिनिर्णीत खर्चों की रकम उसमें विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी नियंत्रक, अपने स्वविवेक से अपने समक्ष किसी कार्यवाही में, जो उसकी राय में मिथ्या या तंग करने वाली है, प्रतिकारात्मक खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

137. साधारणतया नियंत्रक की शक्तियां -- कोई भी दस्तावेज जिसके संशोधन के लिए अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है, संशोधित किया जा सकेगा और प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो नियंत्रक की राय में किसी व्यक्ति के हितों के अहित के बिना दूर की जा सकती है, यदि नियंत्रक ठीक समझे और उन निबन्धनों पर जो वह निर्दिष्ट करे, शुद्ध की जा सकती है ।

138. विहित समय को बढ़ाने की शक्ति -- (1) इन नियमों द्वारा किसी कार्य को करने या अधीन कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय, नियंत्रक द्वारा यदि वह ऐसा करना उचित समझे और उन निबन्धनों पर जो वह निर्दिष्ट करें सामान्यतया तीन से अनधिक मास तक बढ़ाया जा सकता है ।

परन्तु यह कि नियंत्रक द्वारा उसके समक्ष प्रत्येक मामले में सामान्यतया ऐसा समय एक बार बढ़ाया जाएगा ।

(2) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो इन नियमों के अधीन समय बढ़ाए जाने के लिए किया गया कोई आवेदन बढ़ाई गई अवधि के भीतर अनुरोध किए जाने पर किया जाएगा ।

139. कतिपय मामलों में नियंत्रक के समक्ष सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी -- जहां पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन या पेटेन्ट से संबंधित किसी मामले से संबंधित दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किसी विवाद या पेटेन्ट के संबंध में किसी मामले की सुनवाई नियंत्रक के समक्ष संपूर्ण विनिर्देश के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् हो, विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी जब तक कि नियंत्रक, विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी जब तक कि नियंत्रक, विवाद के पक्षकारों, जो सुनवाई में या तो वैयक्तिक रूप से हाजिर हो या जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो परामर्श के पश्चात् अन्यथा निर्देश न दे ।

पहली अनुसूची
(नियम 7 देखिए)
फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की संख्या	फीस की रकम (रुपये में) प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में व्यक्तियों के लिए
1	2	3	4	5
1	अनंतिम/संपूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 5(2), 7, 54 या 135 और नियम 39 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन पर	1	750	3000
2	(i) अनंतिम विनिर्देश के पश्चात संपूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर	2	प्रत्येक गुणज पूर्विकता के मामले में 750 का गुणज	प्रत्येक गुणज पूर्विकता के मामले में 3,000 का गुणज
	(i) अनंतिम विनिर्देश के पश्चात संपूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर	2	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	धारा 8(2), 9(1), 25(1), 28(4), 43(3), 53(3) और नियम 12(4), 13(6), 24(5), 56(1), 73(3) या 130 के अधीन समय के विस्तारण के अनुरोध पर	4	250 प्रति मास	1000 प्रति मास

5	नियम 13(6) के अधीन आविष्कारिता की घोषणा फाइल करने पर	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर	-	500	2000
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश के हटाने के लिए आवेदन पर	-	500	2000
8	(i) धारा 20 (1) के अधीन दावे पर	6	500	2000
	(ii) धारा 20 (4) या 20(5) के अधीन निर्देश के लिए अनुरोध पर	6	500	2000
9	धारा 22 के अधीन संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को मुलतवी करने के अनुरोध पर	-	500	2000
10.	धारा 25 के अधीन पेटेंट के अनुदान के विरोध की सूचना पर	7	1,500	5,000
11.	नियम 62(2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा	-	1,500	5,000
12.	धारा 28(2), 28(3), 28(7) के अधीन आवेदन पर	8	500	2,000
13.	धारा 43 के अधीन पेटेंट को मुद्रांकित करने के अनुरोध पर	9	1,500	5,000
14.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर	10	1,500	5,000
15.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निर्देश के लिए आवेदन पर	11	500	2,000
16.	धारा 52(2) के अधीन पेटेंट के अनुदान के अनुरोध पर	12	1,500	5,000
17.	धारा 55 (1) के अधीन परिवर्धन के पेटेंट को स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर	--	500	2,000
18.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीकरण के लिए—	--	600	3,200
	(i) पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत	--	600	3,200
	(ii) तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत	--	600	3,200

	(iii)	चौथा वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत	-	600	3,200
	(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत	-	600	3,200
	(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत	-	1,500	4,500
	(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत	-	1,500	4,500
	(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत	-	1,500	4,500
	(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत	-	1,500	4,500
	(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत	-	3,500	10,000
	(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत	-	3,500	10,000
	(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत	-	3,500	10,000
	(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत	-	3,500	10,000
	(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पंद्रहवें वर्ष की बाबत	-	3,500	10,000
	(xiv)	पंद्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत	-	5,000	15,000
	(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष की बाबत	-	5,000	15,000
	(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत	-	5,000	15,000
	(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत	-	5,000	15,000

	(xviii) उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत	-	5,000	15,000
19.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/संपूर्ण विनिर्देश/अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर-	13		
	(i) स्वीकृति से पूर्व	-	700	2,500
	(ii) स्वीकृति के पश्चात्	-	1,000	6,000
	(iii) जहां संशोधन नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेना के लिए पता बदलने के लिए है	-	200	500
20.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) या आवेदन के विरोध या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की सूचना पर या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर	14	1,500	5,000
21.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	15	1,500	5,000
22.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	-	3,000	10,000
23.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना पर	-	1,000	3,000
24.	धारा 68 के अधीन पेटेंट रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन,	16	700 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	3,000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)
25.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 95(?) के अधीन किसी पेटेंट या किसी अंश के हकदार किसी व्यक्ति या बंधकदार के रूप में या अनुज्ञापिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर प्रत्येक पेटेंट के लिए	17	700 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	3,000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)
26.	नियम 94(1) या नियम 118(1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी	-	200	500

	प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर			
27.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में तामील के लिए किसी अतिरिक्त पते की प्रविष्टि करने के अनुरोध पर	-	700	2,500
28.	धारा 84(1) 91(1) और 92(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर	18	1,500	5,000
29.	धारा 11 ख और नियम 24(1) के अधीन पेटेंट की परीक्षा के लिए अनुरोध पर	19	1,000	3,000
30.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर	20	1,500	5,000
31.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर	21	1,500	5,000
32.	धारा 24 ग द्वारा यथा उपांतरित धारा 94 (क) और 94(ख) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर	22	(क)1,500 (ख)25,000	(क)5,500 (ख)75,000
33.	नियम 109 या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	23	500	-
34.	नियम 109(3) के अधीन अर्हक परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध पर	-	200	-
35.	नियम 109 या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए	-	1,500	-
36.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए			
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जाने वाली	-	500	-
	(ii) पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रत्येक वर्ष के लिए संदत्त की जाने वाली	-	500	-
37.	नियम 117 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन	24	1,000(धन प्रविष्टि)	-

	पर		संख्या 36 के अधीन बने रहने की फीस)	
38.	धारा 78(2) के अधीन लेखन गलतियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर	-	500	1,500
39.	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1)(छ) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवेदन करने पर	25	700	2,500
40.	धारा 39 के अधीन भारत के बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन पर	-	500	1,500
41.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की दूसरी प्रति के लिए आवेदन पर	-	1,000	3,000
42.	धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर	-	700	2,500
43.	कार्यालय प्रतियों या मुद्रित प्रत्येक के प्रमाणन के लिए	-	200	500
44.	नियम 27 या नियम 38 के अधीन धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण के लिए अनुरोध पर	-	200	500
45.	धारा 153 के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध पर	-	300	1,000
46.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
47.	ऐसी याचिका पर जिसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है	-	1,000	3,000
48.	दस्तावेजों की फोटों प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ	-	+	4
49.	अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस	-	1,500	5,000
50.	प्राथमिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए	-	1,000	3,000
51.	धारा 7(1क) के अधीन पी.सी.टी. के अधीन पी.सी.टी. अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के तत्स्थानी आवेदन	1क	750, प्रत्येक	3,000 प्रत्येक

	पर राष्ट्रीय फीस		गुणज प्राथमिकता की दशा में 750 का गुणज	गुणज प्राथमिकता की दशा में 3,000 का गुणज
52.	धारा 24 क के अधीन अनन्य विपणन अधिकार के अनुदान के लिए अनुरोध पर	27	25,000	75,000
53.	नियम 47 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर	18	25,000	75,000
54.	नियम 47 के अधीन अनन्य विपणन अधिकार के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर	20	1,500	5,000
55.	धारा 24(ग) द्वारा यथासंपांतरित धारा 87 या नियम 49(1) या नियम 52(3) के अधीन आवेदन के विरोध की सूचना पर	14	10,000	30,000
56.	नियम 51(1) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर	21	10,000	30,000
57.	अनन्य विपणन अधिकार के रजिस्टर का निरीक्षण करने के अनुरोध पर	-	200	500
58.	अनन्य विपणन अधिकार रजिस्टर में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के प्रदाय के लिए अनुरोध पर	-	700	2,500
59.	धारा 146 के अधीन भारत में वाणिज्यिक मान पर पेटेंट दिए गए आविष्कार के कार्य से संबंधित कथन पर	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
60.	धारा 39 के अधीन भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने के संबंध में अनुमति के लिए अनुरोध	30	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

टिप्पण:- जब तक कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो सभी

प्ररूप/आवेदन/अनुरोध/सूचना/याचिका दो प्रतियों में

फाइल किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(नियम 8 देखिए)

प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप संख्या	धारा और नियम	शीर्षक
1.	2.	3.
1.	धारा 5(2), 7, 54 या 135 और नियम 39, 1क, धारा 7(1क) ; नियम 20(1)	पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन
1 क	धारा 7(1क); नियम 20(1)	पी.सी.टी. के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय आवेदन के तत्स्थानी आवेदन पर पेटेंट मंजूर करने के लिए आवेदन
2.	धारा 10, नियम 13	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश
3.	धारा 8 और नियम 12	कथन और वचनबंध
4.	धारा 8(2), 9(1), 25(1), 28(4), 43(3), 53(3), और नियम 12(4), 13(6), 24(5), 56(1), 73(3) या 130	समय के विस्तारण के लिए अनुरोध
5.	धारा 10(6) और नियम 13(6)	आविष्कारिता के सम्बंध में घोषणा
6.	धारा 20(1), 20(4), 20(5) और नियम 34(1), 35 या 36	पेटेंट के लिए आवेदन में किसी परिवर्तन के सम्बंध में दावा या अनुरोध
7.	धारा 25 और नियम 55	पेटेंट के अनुदान के विरोध की सूचना
8.	धारा 28(2), 28(3) या 28(4) और नियम 66, 67, 68	किसी ऐसे पेटेंट में आविष्कारक का उस रूप में उल्लेख करने के संबंध में अनुरोध या दावा
9.	धारा 43 और नियम 73(1)	पेटेंट के मुद्रांकन के लिए अनुरोध
10.	धारा 44 और नियम 75	पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन
11.	धारा 51(1), 51(2) और नियम 76, 77	नियंत्रक के निर्देश के लिए आवेदन
12.	धारा 52(2) और नियम 79	पेटेंट के अनुदान के लिए अनुरोध
13.	धारा 57 और नियम 81(1)	पेटेंट/सम्पूर्ण विनिर्देश के आवेदन में संशोधन के लिए आवेदन
14.	धारा 57(4), 61(1), 63(3), 87(2) और नियम 49(1), 52(3),	पेटेंट के संशोधन/प्रत्यावर्तन/अभ्यर्पण/अनिवार्य अनुज्ञप्ति के अनुदान या उसके

	81(3),(ख), 85(1), 87(2), 98(1), 101(3) या 124 और धारा 24ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 87(2) भी	निबंधनों के पुनरीक्षण या लेखन गलतियों की शुद्धि के विरोध की सूचना
15.	धारा 60 और नियम 84	पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
16.	धारा 68 और नियम 89	दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
17.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) और 90(2)	पेटेंट के नाम/हित या उसमें के अंश के रजिस्ट्रीकरण के लिए या पेटेंट की स्वत्वधारिता को प्रभावित करने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
18.	धारा 84(1), 91 या 92(1) और नियम 47, 96 और धारा 24ग द्वारा यथाउपान्तरित धारा 84 और 92	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
19.	धारा 11ख और नियम 24(1)	पेटेंट के आवेदन की परीक्षा के लिए अनुरोध
20.	धारा 85(1) और नियम 47, 96 तथा धारा 24ग द्वारा यथाउपान्तरित धारा 85(1) भी	पेटेंट के प्रतिसंहरण या अनन्य विपणन अधिकार के लिए आवेदन
21.	धारा 88(4), और नियम 51, 100 और धारा 24ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 88(4) भी	अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन
22.	धारा 94 और नियम 102(1) और धारा 24ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 94 भी	अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए आवेदन
23.	नियम 109 और 112	पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
24.	धारा 130(2) और नियम 117	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
25.	धारा 77(1)(च), 77(1)(छ) और नियम 130(1) या 130(2)	नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन/उसे अपास्त करने के लिए आवेदन
26.	धारा 127, 132 और नियम 135	अधिनियम के अधीन पेटेंट अभिकर्ता/या किसी विषय या कार्यवाही में किसी व्यक्ति के प्राधिकार का प्ररूप
27.	धारा 24 (क) और नियम 40	अनन्य विपणन अधिकार के अनुदान के लिए प्रार्थना
28.	नियम 46	अनन्य विपणन अधिकार के अनुदान के लिए प्ररूप

29.	धारा 146(2) और नियम 131(1)	पेटेन्टी आविष्कार के कार्य से संबंधित कथन
30.	धारा 39	भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने की अनुमति के लिए अनुरोध

प्ररूप - 1

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन

[धारा 5(2), 7, 54 और 135; नियम 39 देखिए]

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में 1. मैं/हम
 - स्तम्भ (क) से (ग) तक दुहराएं (क) 1.
 - (ख) 2.
 - (ग) 3.
 4.

2. यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो (क) 2.
 - पूरा नाम अंतःस्थापित करें, (ख) 3.
 - पारिवारिक या मूल नाम प्रारंभ में (ग) 4.
 - दें ।
 - (क) 2.
 - (ख) 3.
 - (ग) 4.

3. पूरा पता, डाक सूचक सं./कोड तथा राज्य और/या देश के साथ अंतःस्थापित करें
2. एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं (क) कि नाम का एक आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है ।
4. राष्ट्रीयता लिखें (ख) कि इस आविष्कार से संबद्ध अनन्तिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया जाता है ।
- (ग) कि मुझे/हमें पेटेंट के प्रदान किए जाने के संबंध में आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है ।
5. एक से अधिक आविष्कारकों की दशा में स्तम्भ (क) से (ग) को टुटुराएं
3. मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए
6. पूरा नाम लिखें , प्रारम्भ में परिवार या मूल नाम दें (क) 6.
- (ख) 7.
7. पूरा पता जिसके अन्तर्गत डाक कोड, राज्य और/या देश भी है लिखें (ग) 8.
- आविष्कारक है/हैं।⁵
8. राष्ट्रीयता लिखें
4. मैं/हम उन कन्वेंशन देशों में, जिसके विवरण निम्न रूप में हैं, फाइल किए गए आवेदन (आवेदनों) से पूर्विकता का दावा करता हूँ/करते हैं।⁹

9. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) तक दुहराएं (क) 10.....
(ख) 11.....
(ग) 12.....
10. देश का नाम (घ) 13.....
(ङ) 14.....
और यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त आवेदन या उपर्युक्त आवेदनों में से प्रत्येक आवेदन मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था ।
11. आवेदन संख्या 5. मैं/हम कथन करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार उस आविष्कार का एक सुधार रूप अथवा उपान्तरण है, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं तथा जिसका मैं/हम आवेदक (पेटेंटी) हूँ/हैं ।
.....
12. आवेदन की तारीख (क) 15.....
13. कन्वेंशन देश में आवेदक (ख) 16.....
14. कन्वेंशन देश में आविष्कार का नाम
15. आवेदन संख्या या पेटेंट संख्या
16. आवेदन की तारीख या पेटेंट की तारीख 6. मैं/हम कथन करता हूँ/करते हैं कि यह आवेदन मेरे/हमारे आवेदन से, जिनके विवरण निम्नलिखित हैं, विभक्त हुआ है और निवेदन करता हूँ/करते हैं कि यह आवेदन, अधिनियम की धारा 16 के अधीन, तारीखको फाइल किया गया समझा जाए ।
17. आवेदन सं. के साथ प्रकाशित क्रम सं., यदि कोई हो,
18. अनन्तिम विनिर्देश तथा/या संपूर्ण विनिर्देश के फाइल करने की तारीख
19. पूरा पता, डाक सूचकांक सं./कोड तथा राज्य, साथ ही टेलीफोन नंबर और टेलीफैसीमाइल नं. (क) 17.....
(ख) 18.....और.....
20. यदि आवश्यक हो तो स्तंभ (क) से (ग) तक दुहराएं 7. कि मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं ।
21. कन्वेंशन देश में सही तथा प्रथम आविष्कारक (आविष्कारकों) या आवेदक का 8. कि भारत में मेरा/हमारा तामील के लिए पता यथा निम्नलिखित है :-

तारीख सहित हस्ताक्षर, प्रकृत व्यक्ति का नाम
हस्ताक्षर के नीचे दिया जाए ।

19.....

22. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षरित
किया जाए या यदि आवेदक अनुपस्थित है/हैं,
तो प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर
किया जाए ।

9. कन्वेंशन देश में आविष्कारक (आविष्कारकों) या
आवेदकों द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई कि
मैं/हम कन्वेंशन देश में इस आविष्कार के सही
और प्रथम आविष्कारक या आवेदक घोषणा
करता हूँ/करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हम
समनुदेशिनी या विधिक प्रतिनिधि है/हैं ।

20.....

23. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने
हस्ताक्षर किए हैं ।

(क) 6.....13.....

(ख) 7.....

(ग) 8.....

() 21.....

10. कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और
विश्वास के अनुसार इसमें वर्णित तथ्य और
बातें सही हैं तथा यह कि इस आवेदन पर
मुझे/हमको पेटेंट प्रदान करने में आपत्ति करने
का कोई विधि-पूर्ण आधार नहीं है ।

11. इस आवेदन के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक
हैं:-

(क) अनन्तिम/पूर्ण विनिर्देश (3 प्रतियां)

(ख) रेखा-चित्र (3 प्रतियां)

(ग) प्राथमिक दस्तावेज (3 प्रतियां)

(घ) प्ररूप-3 पर विवरण और घोषणा

(ङ) प्राधिकार शक्ति

(च)

(छ)

(ज) :.....

(झ) फीस रु.नकद/बैंक/बैंक
ड्राफ्ट.....सं.
तारीख.....पर आहरित

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उक्त
आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया जाए ।

आज तारीख..... 19/20

हस्ताक्षर 22.....

.....23

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय

पता :-

- टिप्पण : (क) जो लागू न हो, उसे काट दें । (ख) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप-1क
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)

अंतरराष्ट्रीय आवेदन को तत्स्थानी किसी आवेदन पर किसी पेटेंट को प्रदान किए जाने के लिए
आवेदन
(धारा 7(1क), नियम 20(1) देखिए)

1. स्तंभ (क) से स्तंभ (ग) तक दुहराए यदि आवेदक एक से अधिक हों	1. मैं/हम 1..... (क) 2..... (ख) 3..... (ग) 4.....
2. यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो पूरा नाम लिखें, पारिवारिक या मूल नाम प्रारंभ में दे ।	(क) 2..... (ख) 3.....

	(ग) 4.....
	(क) 2
	(ख) 3
	(ग) 4
3. पूरा पता जिसमें डाक सूचक संख्या/कोड तथा राज्य और/या देश भी है, लिखें	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं (घ) कि
4. राष्ट्रीयता लिखें	नाम का एक आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है। (ङ) मेरा/हमारा आवेदन भारत में, पी.सी.टी.सं. तारीख के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है। 6
5. अंतरराष्ट्रीय आवेदन संख्या भरें	
6. प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा यथा आबंटित अंतरराष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख लिखें	और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए आविष्कारक निम्नलिखित है / हैं
7. स्तंभ (क) से (ग) पुनः दुहराएं यदि एक से अधिक आविष्कारक हों।	7..... (क) 8..... (ख) 9..... (ग) 10.....
8. पूरा नाम लिखें पारिवारिक या मूल नाम प्रारंभ में दें।	
9. पूरा पता जिसमें डाक संख्या, राज्य और/या देश भी है, लिखें।	
10. राष्ट्रीयता लिखें	4. मैं/हम, कन्वेंशन देशों में फाइल किया गया/गए आवेदन / आवेदनों से पूर्विकता का दावा करता हूँ/करते हैं, जिनकी विशिष्टियां निम्नानुसार है 11-
11. स्तंभ (क) से (ङ) दुहराएं यदि एक से अधिक आवेदन हों।	(क) 12..... (ख) 13..... (ग) 14..... (घ) 15.....
12. देश का नाम	
13. आवेदन संख्या	

14. आवेदन की तारीख	(ड) 16.....
15. कन्वेंशन देश का आवेदक	और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार, आविष्कार का सुधार या रूपांतर है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं और जिनमें मैं/हम आवेदक/पेटेंटी हूँ/हैं ।
16. कन्वेंशन देश का आविष्कार का नाम	(क) 17.....
17. आवेदन संख्या या पेटेंट संख्या	(ख) 18.....
18. आवेदन की तारीख या पेटेंट की तारीख	6. कि मैं /हम सही और पहले आविष्कारकों के समनुदेशिनी या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं ।
19. संपूर्ण पता जिसमें टेलीफोन और टेलीफैसीमाइल संख्या(संख्याओं) सहित डाक सूचकांक संख्या/कोड राज्य भी है,	7. कि मेरा/हमारा पता भारत में तामील के लिए निम्नलिखित है 19.....
20. स्तंभ (क) से (ग) दुहराएं यदि आवश्यक हो ।	8. कन्वेंशन देश में आविष्कारक (को) या आवेदक (कों) द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई है मैं/हम इस आविष्कार के लिए आविष्कारक हूँ/हैं या कन्वेंशन देश में आवेदक यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक मेरा/अपना समनुदेशिनी या विधिक प्रतिनिधि है । 20..... (क) 8.....15..... (ख) 9..... (ग) 10..... () ²¹
21. सही और पहले आविष्कारक (कों) अन्वेषक या कन्वेंशन देश में आवेदक के तारीख सहित हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे प्रकृत व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए ।	9. कि यह मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें उल्लिखित तथ्य और विषय सही हैं और

	उल्लिखित तथ्य और विषय सही हैं और इस आवेदन पर मुझे/हमें आक्षेप किए जाने का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है। 11. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न हैं: () आई.पी.ई.ए. से पूर्व यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय आवेदन के साथ पुष्टि में पूर्ण विनिर्देश, यदि कोई है। (ट) आई.पी.ई.ए. से पूर्व यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय आवेदन के साथ पुष्टि आहरण, यदि कोई है। (क) प्ररूप 3 पर कथन और वचन बंध (ख) प्राधिकारी की शक्ति (ग) (घ) (ङ) (च) नकद/चेक/धारक जिसकी सं. तारीख..... बैंक मेंरुपए फीस
22 आवेदक (को) या उसमें/उनके प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए	मैं / हम, अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उक्त आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया जाए। तारीख.....20..... हस्ताक्षर 22. सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय में स्थित

- टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें
(ख) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप-2
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
अन्तिम/पूर्ण विनिर्देश

(धारा 10 देखिए)

1. आविष्कार का नाम	1.1
2. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तम्भ (क) से (ग) को दुहराएं	2.2 (क) 3
3. पूरा नाम लिखें यदि आवेदक वास्तविक व्यक्ति हो तो प्रारंभ में पारिवारिक या मूल नाम लिखें	(ख) 4..... (ग) 5.....
4. पूरा पता लिखें, जिसमें डाक सूचक सं./कोड, राज्य व देश भी हैं	(क) 3..... (ख) 4..... (ग) 5.....
5. राष्ट्रीयता लिखें	
6. अंतिम विनिर्देश की दशा में काट दें	निम्नलिखित विनिर्देश (विशिष्टतया) ⁶ आविष्कार की प्रकृति तथा वर्णन तथा वह रीति जिसमें इसे निष्पादित किया जाना है 6 को वर्णित करता है तथा निर्धारित करता है।
7. आविष्कार का वर्णन का वर्जन दूसरे पृष्ठ से आरंभ होगा	
8. अन्तिम विनिर्देश की दशा में लागू नहीं हो सकता	3. 7.
9. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए	4. मैं/हम दावा करता हूँ/करते हैं कि 8. आज तारीख 19/20 (हस्ताक्षर)10.
10. प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं	

11. (क) अनंतिम विनिर्देश की दशा में लागू नहीं हो सकता (ख) इस स्तंभ के लिए पृथक पन्ने का उपयोग किया जाए	5. 11. आविष्कार का सार सेवा में पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
---	--

टिप्पण : जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्ररूप-3
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्ध
(धारा 8 नियम 12 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	मैं/हम 1.....
2. व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता	राष्ट्रीयता
	एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं
	(i) कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने स्वयं.....
	2. एकमात्र रूप से/..... के साथ
	संयुक्त रूप से यह आवेदन
	तारीख....., किया है जो उसी
	तात्त्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के
	लिए आवेदन दूसरे देशों में, जिनके विवरण
	निम्नलिखित हैं, किया गया है ।
देश का नाम आवेदन की	आवेदन की
सं.तारीख	प्रकाशन की प्रदान करने
	प्रास्थिति तारीख की तारीख
3. समनुदेशिती का नाम और पता	
	(ii) कि आवेदन (आवेदनों) पर 3.....
	को अधिकार समनुदेशित किया गया है/हैं ।
	(iii) कि मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
	नियंत्रक द्वारा संपूर्ण विनिर्देश के अभिग्रहण
	की तारीख तक, मैं/हम नियंत्रक को लिखित
	रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल
	कि गए संगत के आवेदनो के विवरणों की
	सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से

4 आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	तीन मास के भीतर देता रहूंगा/देते रहेंगे ।आज तारीख..... /20 (हस्ताक्षर) ⁴ (.....) 5
5 उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं,	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप-4

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

समय विस्तारण के लिए अनुरोध

(धारा 8(2) धारा 9(1), धारा 25(1), धारा 26(4), धारा 43(3); धारा 53(3), नियम 12(4), 13(6), 24(5), 56(1), 73(3), और 130 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	मैं/हम 1 मेरे/हमारे आवेदन/पेटेंट से के संबंध में धारा/ नियम के अधीन मास के समय-विस्तारण के लिए एतद्वारा अनुरोध करता हूँ/करते हैं ।
2. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:-आज तारीख.....
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं	/20 (हस्ताक्षर) 2 3
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए।	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप-5
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
आविष्कारिता संबंधी घोषणा
(नियम धारा 10(6) नियम 13(6) देखिए)

1. आवेदक/आवेदकों का/के नाम 2. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) तक दुहराएं 3. पूरा नाम लिखें, प्रारंभ में पारिवारिक नाम या मूल नाम दें 4. पूरा पता लिखें 5. राष्ट्रीयता लिखें 6. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं 7. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं 8. आविष्कारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	मैं/हम 1..... 3558..... घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे तारीख..... के सं. के संख्यांकित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गये पूर्ण विनिर्देश में घोषित आविष्कार के सही और प्रथम आविष्कार :- 2..... (क) 3..... (ख) 4..... (ग) 5..... है/हैं । आज तारीख..... /20..... (हस्ताक्षर) 6.....) 7..... यदि ऊपर आविष्कारक के रूप में कोई व्यक्ति, आवेदन में ऐसा नामित न हो, तो उसे निम्नलिखित कथन पर हस्ताक्षर करने चाहिए :- मैं उपर्युक्त घोषणा में निर्दिष्ट आविष्कार के उल्लिखित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में सम्मिलित किए जाने की अनुमति देता हूँ । हस्ताक्षर..... 8..... (.....) सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
--	---

टिप्पण : जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्ररूप-6

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

पेटेंट के लिए आवेदन में किसी परिवर्तन के संबंध में दावा या अनुरोध
(धारा 20(1), धारा 20(4), और धारा 20(5), नियम 34(1), 35 और 36 देखिए)

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) को दुहराएं	मैं/हम.....1..... (क)2..... (ख)3..... (ग)4.....
2. पूरा नाम लिखें, यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो प्रारंभ में पारिवारिक नाम या मूल नाम लिखें	 अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि 5..... द्वारा किए गए पेटेंट आवेदन सं. तारीख..... पर मेरे/हमारे नाम पर कार्यवाही की जाए और आगे अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि तत्प्रभावी नियंत्रक का निदेश यदि आवश्यक हो, दिया जाये ।
3. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या/कोड और राज्य और/या देश लिखें	
4. राष्ट्रीयता लिखें	
5. पेटेंट के लिए आवेदक (आवेदकों) के नाम लिखें ।	उपर्युक्त अनुरोध करने के कारण निम्नलिखित हैं :-..... मैं अपने उपर्युक्त अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ :-
6. दावे या अनुरोध के साथ दस्तावेजों की मूल और प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी	6. विधि आवेदक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा सहमति
7. दस्तावेज के ब्यौरे लिखें	(क)7..... (ख)7..... (ग)7.....8.....
8. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलिफोन सं. और टेलीफैसीमील सं.	
9. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता..... है ।
10. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	आज तारीख.....19...../20..... (हस्ताक्षर)9..... (.....) 10.....
ध्यान दें : यह प्ररूप मात्र नाम परिवर्तन के	

लिए लागू नहीं होगा । टिप्पण : (क) जो लागू न हो, उसे काट दें । (ख) फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
--	---

प्ररूप-7

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

पेटेंट के दिए जाने के विरोध की सूचना

(धारा 25 और नियम 55 देखिए)

1. नाम, पता व राष्ट्रीयता लिखें	मैं/हम 1..... द्वारा पेटेंट सं.(क्रम सं)तारीखके लिए किए गए आवेदन परके आधारों पर 2....पेटेंट के दिये जाने के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।
2. एक के बाद दूसरे ग्रहण किए गए आधारों को लिखें	
3. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलिफोन और टेलीफैसीमील सं.	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :- 3.....
4. विरोधी या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	आज तारीख.....19 /20 (हस्ताक्षर) 4 (.....) 5.....
5. प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

कृपया ध्यान दें :- यह प्ररूप मात्र नाम के परिवर्तन के लिए लागू नहीं होगा ।

टिप्पण :

(क) जो लागू न हो, उसे काट दें ।

(ख) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्रारूप-8

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

किसी पेटेंट में आविष्कारक के उस रूप में उल्लेख के संबंध में अनुरोध या दावा
(धारा 28(2), धारा 28(3) और धारा 28(4) तथा नियम 66, नियम 67 और नियम 68
देखिए)

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व राष्ट्रीयता लिखें ।	मैं/हम 1..... यह कथन/दावा करता हूँ/करते हैं किद्वारा किए गए पेटेंट आवेदन सं.....तारीख दिया गया है, मैं आविष्कारक (आविष्कारकों) के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) मुझे/हमें उल्लिखित किया जाये । या घोषणा करता हूँ/करते हैं कि.....द्वारा किए गए पेटेंट सं..... तारीख.....के आवेदन में 2.....को आविष्कारक के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहिए था और मैं/हम तत्पश्चात् एक प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं ।
2. आविष्कारक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति का नाम लिखें	2. उन परिस्थितियों के, जिनके अधीन यह आवेदन किया जाता है, उल्लेख करते हुए एक विवरण, नियमों के अधीन तथा अपेक्षित उनकी प्रति/प्रतियों के साथ संलग्न है ।
3. पूरा पता, जिसमें डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलिफोन सं. और टेलीफैसीमील सं. लिखें ;	3. भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता 3..... आज तारीख.....19... /20 (हस्ताक्षर)4
4. आवेदक या उसका प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	
5. प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	

	() 5..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
--	---

फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्रारूप-9

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

पेटेंट के मुद्रांकन के लिए अनुरोध

(धारा 43; नियम 73(1) देखिए)

1. आवेदक (आवेदकों) के नाम लिखें	मैं/हम 1..... अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे आवेदन सं..... तारीख क्रम सं. पर पेटेंट मुद्रांकित किया जाए तथा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उस आवेदन के संबंध में नियंत्रक या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ।
2. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और बातें सही हैं तथा इस आवेदन पर मुझे/हमें पेटेंट के दिए जाने के संबंध में आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है ।
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	आज, तारीख.....20 (हस्ताक्षर)2..... () 3..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप-10

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन

(धारा 44 और नियम 75 देखिए)

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) को दुहराएं	मैं/हम..... (क)..... 2..... (ख)..... 3..... (ग)..... 4.....
2. पूरा नाम लिखें, यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो प्रारंभ में पारिवारिक नाम या मूल नाम लिखें	(क) 2..... (ख) 3..... (ग) 4.....
3. पूरा पता जिसमें डाक सूचक संख्या/कोड और राज्य और/या देश भी है, लिखें	(क) 2..... (ख) 3..... (ग) 4.....
4. राष्ट्रीयता लिखें :-	अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि को दिए गए पेटेंट सं. तारीख..... में प्राप्तकर्ता के नाम के स्थान पर मेरे/हमारे नाम को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाए तथा अपने अनुरोध के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।
5. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं. और टेलीफैसीमील सं.	 भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता 5
6. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	 है । आज तारीख..... 19... /20 (हस्ताक्षर) 6
7. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	(7) सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप-11

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
नियंत्रक के निदेश के लिए आवेदन पत्र
(धारा 51(1) और 51(2); 76 और नियम 77 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. पूरा पता, जिसमें डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं. और टेलीफैसीमील सं. भी है, लिखें । 3. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए 4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम..... को दिए गये पेटेंट सं.तारीख की बाबत निम्नलिखित निदेश के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं । इस आवेदन करने के निम्नलिखित कारण हैं:- भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता :- 2..... है । हस्ताक्षर 3 () 4 सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
--	--

टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप-12

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

धारा 52(2) के अधीन पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए अनुरोध
(धारा 52(2), नियम 79 देखिए)

1. यदि एक से अधिक आवेदक हैं तो स्तंभ (क) से (ग) तक की दुहराएं ।	मैं/हम 1..... (क) 2..... (ख) 3..... (ग) 4.....
2. पूरा नाम लिखें यदि आवेदक एक प्रकृत व्यक्ति है तो आरंभ में कुटुम्ब या प्रधान का पूरा नाम लिखें	इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं : (i) कि मैंने/हमने अधिनियम की धारा 64 के अधीन 5 उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है और पेटेंट तथा याचिका के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं । पेटेंट सं.....तारीख..... गारंटी अनुदत्तकर्ता/पेटेंटी.....याचिका सं. तारीख..... (ii) कि मैंने/हमने6 का सही और प्रथम आविष्कारक (को) समनुदेशिती(ओं) /विधिक प्रतिनिधि (ओं) उस आविष्कार का जिसके लिए उक्त पेटेंट अनुदत्त किया गया था, सही और प्रथम आविष्कारक होने का दावा किया है ।
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य और/या देश भी है, लिखें ।	
4. व्यक्ति की राष्ट्रीयता ।	
5. उच्च न्यायालय का नाम	
6. सही और प्रथम आविष्कारक का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता ।	(iii) कि उक्त याचिका में एक आदेश द्वारा पेटेंट प्रतिसंहत किया गया था/उसके दावे के अपवर्जन द्वारा पेटेंट के पूर्ण विनिर्देश संशोधित करने का निदेश दिया गया था ।
7. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का सूचकांक संख्या कोड तथा राज्य, टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. भी है	(iv) कि न्यायालय ने, उक्त पेटेंट/संशोधन द्वारा अपवर्जित आविष्कार के भाग के बदले में मुझे एक पेटेंट अनुदत्त करने का आदेश दिया था ।
8. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	
9. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	(v) कि मैं/हमें अपने आवेदक के समर्थन में एक कथन और न्यायालय में आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और यह अनुरोध करता/करते हैं कि मुझे/हमें न्यायालय के आदेश के अनुसार पेटेंट अनुदत्त किया जाए ।

सेवा में, प्रति, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता..... दि. 15 टिप्पण : (क) जो लागू न हो, उसे काट दें, (ख) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए	भारत में तामील किए जाने के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है :- तारीख...../20 (हस्ताक्षर)8..... 9.....
---	---

प्रारूप-13

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

1/11/55

पेटेंट आवेदन/पूर्ण विनिर्देश के संशोधन के लिए आवेदन
 (धारा 57, नियम 81(1) देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता 2. आवेदक या पेटेटी या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। 3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं। टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए	मैं/हम 1..... पेटेंट के लिए आवेदन सं..... तारीख की बाबत आवेदन/पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की इजाजत के लिए, जैसा कि इससे संलग्न प्रति में उल्लिखित है, अनुरोध करता हूँ/करते हैं। यह अनुरोध करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्नवत है : मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रश्नगत पेटेंट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है। तारीख.....20 (हस्ताक्षर) 2..... () 3..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
--	---

प्ररूप-14

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

पेटेंट के संशोधन/प्रत्यावर्तन/अभ्यर्पण/अनिवार्य अनुज्ञप्ति का मंजूरी या उसके निबंधनों का पुनरीक्षण या लिपिकीय भूलों के संशोधन के प्रति आक्षेप की सूचना
(धारा 57 (4), 61(1), 63 (3), और 87 (2); नियम 49 (1), 52(3), 81(3)
(ख), 85 (1), 87(2) 98(1), 101(3) और 124 और धारा 24 ग द्वारा यथा उपान्तरित
धारा 87 (2) भी देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक की सूचक संख्या/कोड तथा राज्य टेलीफोन तथा टेलीफेसीमाइल नं. भी है 3. आक्षेपकर्ता या प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। 4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं। टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें। (ख) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए	मैं/हम 1 इसके द्वारा पेटेंट सं..... पेटेंट सं..... तारीख के आवेदन की बाबत आवेदन/ विनिर्देश का संशोधन करने, या पेटेंट सं..... तारीख के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करने, या पेटेंट सं..... तारीख के अभ्यर्पण का प्रस्ताव करने, या अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/पेटेंट का पृष्ठांकन करने या पेटेंट सं..... तारीख का प्रतिसंहरण करने, या पेटेंट सं..... तारीख की बाबत अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण करने या पेटेंट सं..... तारीख में/पेटेंट संख्या तारीख की बाबत विनिर्देश सं..... तारीख में या पेटेंट आवेदन सं..... तारीख में लिपिकीय भूल का संशोधन करने का आक्षेप करने की सूचना देता हूँ/देते हैं। वे आधार, जिन पर उक्त आक्षेप किया जाता है, निम्नवत् है :- तारीख 20 (हस्ताक्षर) 3..... (.....) 4..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
---	--

प्ररूप-15
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
(धारा 60, नियम 84 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखे 2. आवेदक या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जाए। 3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।	मैं/हम 1 इसके द्वारा को अनुदत्त पेटेंट सं..... तारीख के प्रत्यावर्तन के लिए नियंत्रक के आदेश के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं। वे परिस्थितियां, जिनके कारणको या उसके पूर्व,.....वर्ष के लिए नवीकरणका संदाय करने में असफलता हुई, निम्नलिखित है :- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने
--	--

प्ररूप-16

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 68, नियम 89 देखिए)

1 नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखे 2. आवेदक या प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। 3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं। टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए	मैं/हम 1..... इसके द्वारा उस दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं जिसमें ब्यौरे नीचे दिए गए हैं और जो को अनुदत्त पेटेंट से..... तारीख की बाबत है और जिसका पेटेंट, रजिस्टर में..... हैं। तारीख.....20 (हस्ताक्षर)..... 2..... 3..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
---	---

प्ररूप-17

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

किसी पेटेंट या उसके अंश में हक/हित के रजिस्ट्रीकरण या पेटेंट के स्वत्वधारण पर प्रभाव डालने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(धारा 69(1), धारा 69(2), नियम 90(1) और नियम 90(2) देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखे	मैं/हम 1. इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारे नाम उस पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट/पेटेंट में एक अंश/पेटेंट में हित के हकदार व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जा सकते हैं, जिसके ब्यौरे नीचे विनिर्दिष्ट हैं, पेटेंट सं..... तारीख
2. दस्तावेज की प्रकृति का वर्णन जिसमें उसकी तारीख और उसके पक्षकारों के नाम, पता और राष्ट्रीयता भी दिए गए हैं।	अनुदत्तकर्ता..... पेटेटी.....
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य, साथ ही टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. भी है।	और उसके साक्ष्यस्वरूप हम संलग्न 2 और उनकी एक प्रमाणित प्रति संप्रेषित कराते हैं या को अनुदत्त पेटेंट सं. तारीख की बाबत जिसका यह पेटेटी..... है, की अनुप्रमाणित प्रति और साथ ही सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज संप्रेषित करता हूँ/करते हैं और मैं/हम यह आवेदन करते हैं कि उस एक अधिसूचना की प्रविष्टि पेटेंट रजिस्टर में कर ली जाए।
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।	
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत् है : 3..... तारीख.....20 (हस्ताक्षर) 4..... (.....) 5..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

टिप्पण (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए।

(ख) जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-18

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(धारा 84(1), 91, 92(1), नियम 47 और 96 तथा धारा 24 ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 84 और 92 भी देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	मैं/हम 1 को अनुदत्त पेटेंट सं. तारीख के अधीन, जिसके लिए पेटेटी है, निम्नलिखित आधार पर अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करते हैं अर्थात् मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है ।
2. दस्तावेजों की दो प्रतियों में प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए	मेरे/हमारे हित और ऊपर कथित आधार के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं..... 2.....
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य, साथ ही टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. भी है ।	(क)..... (ख) (ग)
4. यदि आवेदक भारत में अनुपस्थित है तो उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता:-3.....
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	तारीख.....20 (हस्ताक्षर)..... 4..... 5.....
टिप्पण: फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

प्ररूप-19

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
पेटेंट के लिए आवेदन का जांच करने के लिए अनुरोध
(धारा 11(ख), नियम 24 (1) देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रियता बताएं	मैं/हम 1.. अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि आविष्कार के लिए को फाइल किए गए पेटेंट सं. के लिए किये गये मेरे/हमारे आवेदन की जांच अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन की जाएगी
2. आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध फाइल किए जाने की दशा में दस्तावेजों की प्रमाणित दो प्रतियां में संलग्न की जाए	
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक सूचक नं./ कोड और साथ ही टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. और ई-मेल का पता भी है, बताएं।	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम पेटेंट के लिए आवेदन/पेटेंट के लिए ऊपर उल्लिखित आवेदन के लिए/के बारे में हितबद्ध व्यक्ति हूँ/व्यक्ति हैं । पेटेंट के लिए आवेदन में मेरे/हमारे हित के साक्ष्य के रूप में, मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज भेजता हूँ/भेजते हैं :- (क)..... (ख) (ग)
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।	
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता:-3..... है । तारीख.....20 (हस्ताक्षर)..... 4 (.....)..... 5 सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए
(ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप-20

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

पेटेंट के प्रतिसंहरण या अनन्य विपणन अधिकार के लिए आवेदन
(धारा 85(1) या नियम 47 और 96 तथा धारा 24 ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 85(1)
भी देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता ।	मैं/हम 1.. को
2. आवेदक के हित की प्रकृति, और वे तथ्य, जिन पर वह विश्वास करता है तथा वे आधार जिस पर आवेदन किया गया है, लिखें	अनुदत्त पेटेंट सं/अनन्य विपणन अधिकार सं..... तारीखजिसके लिए पेटेंटी/पेटेट के लिए आवेदक.... है, के प्रतिसंहरण के लिए निम्नलिखित कारणों से आवेदन करता हूँ/करते हैं, अर्थात्:-2....
3. सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, दो प्रतियां संलग्न की जाए	मेरे/हमारे हितों/ऊपर कथित कारणों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं.3..... (क)..... (ख) (ग)
4. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का सूचक सं./कोड भी है और साथ ही टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. भी बताएं ।	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही हैं । भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता:- 4 है ।
5. आवेदक (को) प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।	तारीख.....20 (हस्ताक्षर)..... 5 ()..... 6
6. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

(ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्रारूप-21

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन
(धारा 88(4), 51 और 100 और धारा 24 ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 88(4) भी देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता ।	मैं/हम 1..घोषणा करता हूँ/करते हैं ।
2. आवेदक या प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।	(i) पेटेंट सं..... तारीखको अनुदत्त किया गया था जिसके लिए पेटेटी..... हम लोग है/हैं ।
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	या पेटेंट आवेदन सं. तारीख..... द्वारा फाइल की गई की जिस पर अनन्य विपणन अधिकार सं. तारीख..... अनुदत्त किया गया था
	(ii) अनुदत्त पेटेंट अनन्य विपणन अधिकार के अधीन, नियंत्रक के तारीख.....के आदेश द्वारा मैं/हम अनुज्ञप्ति धारक हूँ/हैं ।
	(iii) नियंत्रक द्वारा परिनिर्धारित निबंधन और शर्तें मूलतः अनुमानित अपेक्षा से अधिक दुर्भर साबित हुई है तथा हम आविष्कार पर कार्य करने में असमर्थ है ।
	(iv) वे परिस्थितियां, जिनमें यह आवेदन किया गया है संलग्न विवरण दो प्रतियों में, उपवर्णित हैं ।
	मैं/हम अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों को पुनरीक्षित करने के लिए नियंत्रक से अनुरोध करता हूँ/करते हैं ।
	तारीख.....20 (हस्ताक्षर)..... 2 (.....).....3
	सेवा में,
टिप्पण (क) फीस के लिए :पहली अनुसूची देखिए (ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।	पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

प्ररूप-22

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के लिए अनुरोध

(धारा 94 नियम 102(1) और धारा 24 ग द्वारा यथा उपान्तरित धारा 94 भी देखिए)

1. आवेदक (को) का/के नाम, पता और राष्ट्रीयता ।	मैं/हम। श्री..... को अनुदत्त पेटेंट सं./ई.एम.आर. सं.....तारीख.....के अधीन नियंत्रक के तारीख..... के आदेश द्वारा को अनुदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं जिसके लिए पेटेंट आवेदक है ।
2. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, दो प्रतियों में संलग्न की जाए।	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ऊपर उल्लिखित पेटेंट के लिए पेटेंटी हूँ/हैं । पेटेंट सं..... के लिए आवेदन के संबंध में ई.एम.आर. धारक हूँ/हैं ।
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक कोड और साथ ही टेलीफोन तथा टेलीफैसीमाइल नं. भी हो, बताएं ।	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम पेटेंट/ई.एम.आर. में

प्रारूप-23

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(नियम 109 और 112 देखिए)

1. आवेदक के चरित्र को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो उनसे संबंधित न हो और किसी राजपत्रित अधिकारी या अन्य व्यक्ति का, जिसे नियंत्रक ठीक समझे, होना चाहिए । 2. प्रारंभ में कुटुम्ब या प्रधान नाम 3. या तो मूल प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज या राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे नियंत्रक ठीक समझे, सम्यक रूप से साक्ष्यांकित उनकी प्रतियां आवेदन के साथ अवश्य भेजी जाएं । 4. आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए । 5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं । टिप्पण: फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए	मैं पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं । से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न है । मैं घोषणा करता हूं कि मैं पेटेंट नियम, 1972 के नियम 99 में विनिर्दिष्ट किसी भी निरर्हता के अध्वधीन नहीं हूं और नीचे दी गई सूचनाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार सही हैं । 1 नाम..... 2. पता/..... निवास स्थान..... 3. व्यवसाय का..... प्रधान स्थान..... 4. शाखा कार्यालय, यदि कोई है, का पता..... 5. पिता का नाम..... 6. राष्ट्रीयता..... 7. जन्म की तारीख और स्थान..... 8. उपजीविका..... 9. पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता की विशिष्टियां³..... (क)..... (ख)..... (ग)..... तारीख..... (हस्ताक्षर)⁴..... {.....} सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
---	--

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
(नियम 117 देखिए)

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं । टिप्पणः फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए	मैं अपने नाम को, जो पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 130 के अधीन तारीख..... को हटा दिया गया था, पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करता हूं । मेरा नाम मूलतः तारीख.. को सं..... के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट था । तारीख...../20 (हस्ताक्षर)¹ ()² सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
---	--

प्ररूप-25

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन/अपास्त करने के लिए आवेदन
(धारा 77(1) (च) और 77(1) (छ) और नियम 130(1) और नियम 130(2) देखिए)

1. पेटेंट संख्या या पेटेंट आवेदन सं. तथा सुसंगत कार्यवाही का उल्लेख करें ।	1. के मामले में मैं/हम 2 उपर्युक्त मामले में आवेदक/विरोधी पक्षकार होने के कारण उपर्युक्त मामले में तारीख.... के नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश का पुनर्विलोकन करने/को अपास्त करने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं / आवेदन करने के आधार संलग्न विवरण में, दो प्रतियों में उपवर्णित हैं ।
2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	
3. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।	तारीख...../20 (हस्ताक्षर) ³
4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	(.....) ⁴
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
टिप्पण: फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए	

प्ररूप-26

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही में पेटेंट अभिकर्ता/या किसी व्यक्ति के

प्राधिकार का प्ररूप

(धारा 127 और 132, नियम 135 देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	मैं/हम
2. प्राधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता लिखें	 ² को मेरी/हमारी ओर से..... ³ के संबंध में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएं/अध्यपेक्षाएं और पत्र को ऐसे व्यक्ति के पास और उक्त पते पर तब तक भेजे जा सकते हैं जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।
3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें, जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है ।	मैं/हम उसी मामले या कार्यवाही के संबंध में, सभी पूर्ववर्ती प्राधिकार, यदि कोई दिए गए हैं, उपर्युक्त पते पर प्रतिसंहत करता हूं/करते हैं ।
4. इस प्राधिकार को करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।	मैं/हम उपर्युक्त मामले में उक्त व्यक्ति द्वारा पहले की गयी कार्रवाई से सहमत हूं/हैं ।
5. उस व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं, और पदनाम तथा सरकारी मुद्रा, यदि कोई है ।	तारीख...../20 (हस्ताक्षर) ⁴ () ⁵
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899(1899 का 2) के अधीन स्टांपित किया जाए ।	

प्ररूप-27

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

धारा 24 ख के अधीन अनन्य विपणन अधिकारी को अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन
(तीन प्रतियों में किया जाए) ।

(धारा 24(क) और नियम 40 देखिए)

1. यदि एक से अधिक आवेदक हैं तो स्तंभ (क) से (ग) तक को दोहराएं ।	मैं/हम ¹ (क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
2. पूरा नाम लिखें यदि आवेदक एक प्रकृत व्यक्ति है तो प्रारंभ में कुटुम्ब या प्रधान नाम लिखें	(क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक सूचक सं. और कोड और/ आदेश भी है, बताएं ।	(क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
4. राष्ट्रीयता लिखें ।	2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं : (क) मैं/हम आविष्कार हक के कब्जे में हूं/हैं 5
5. आविष्कार का हक लिखें	 (ख) आविष्कार के संरक्षण के लिए आवेदन, आवेदन संख्या सहित निम्नलिखित शासकीय तारीख को भारत में किया गया है, अर्थात् सं. ⁶ को ⁷
6. आविष्कार की आवेदन संख्या लिखें	 (ग) मैंने/हमने अभिसमय देश/देशों में समान आविष्कार/आविष्कारों के लिए आवेदन कर दिया था और उसी आविष्कार/आविष्कारों के लिए पेटेंट, पेटेंटों, कर दिए गए हैं और शासकीय तारीख/तारीखों सहित पेटेंट संख्या/संख्याएं निम्नवत हैं / में ¹⁰ सं. ⁸ तारीख ⁹ या (घ) मैंने/हमने भारत में पेटेंट प्रक्रिया के संरक्षण के लिए पेटेंट आवेदन संख्या के लिए आवेदन कर दिया था और इस प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त उत्पाद के पेटेंट के लिए नियम 39क के अधीन भारत में आवेदन कर दिया है
7. भारत में किए गए आवेदन की शासकीय तारीख लिखें ।	
8. अभिसमय देश/देशों की, जिनमें पेटेंट अनुदत्त किया गया है/किए गए हैं, पेटेंट संख्या लिखें ।	
9. पेटेंट की शासकीय तारीख लिखें	
10. अभिसमय देश/देशों का नाम लिखें	
11. समुचित परीक्षणों के आधार पर विपणन अनुमोदन की शासकीय तारीख/तारीखें लिखें ।	
12. सक्षम प्राधिकारी का नाम और पता	
13. उत्पाद का नाम लिखें	
14. भारत सरकार से अभिप्राप्त अनुमोदन संख्या/संख्याएं लिखें	
15. भारत सरकार के अनुमोदन की शासकीय तारीख/तारीखें लिखें ।	
16. सभी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।	

17. आवेदक या प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

18. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।

सं. 6.....

तारीख 7

(ड) मैंने/हमने 1.1.1995 के पश्चात् किए गए समुचित परीक्षण के आधार पर अभिसमय/देणों में आविष्कार के उत्पाद के लिए विपणन अनुमोदन देने अनुदत्त कर दिया है ।

10.....

को 11.....

द्वारा 12.....

(च) मैंने/हमने भारत में सम्पत्ति प्राधिकारी से उक्त उत्पाद के विपणन के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है ।

सं. 13.....

सं. 14.....

को 11.....

द्वारा 12.....

(छ) मैं/हम विश्वास करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम तत्समय प्रवृत्त विधि में उपबंधों के संबंध में उक्त उत्पाद के लिए अनन्य विपणन अधिकार के हकदार हूँ/हैं ।

3. मैं/हम यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके मेरे/हमारे अनुरोध के समर्थन में उक्त उत्पाद के लिए अनन्य विपणन अधिकार अनुदत्त किया जाए ।

16.....

(क)

(ख)

(ग)

4. मैं/हम यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदक से संबंधित सभी सूचनाएं, अध्ययन और संसूचनाएं निम्नलिखित को भेजी जाए :-

तारीख...../20.....

(हस्ताक्षर)¹⁷.....

(.....)¹⁸.....

टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें ।

(ख) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

प्ररूप-28
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
अनन्य पेटेंट विपणन अधिकार अनुदत्त किए जाने के लिए एक प्ररूप
(नियम 46 देखिए)

...../20.....कासंख्यक
ने घोषित किया है कि के लिए एक आविष्कार उसके
 कब्जे में है और वह उसका सही और प्रथम आविष्कारक (या सही और प्रथम आविष्कारक का
 विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिनी है) और उसने उसका पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए एक
 आवेदन (सं.तारीख.....) किया है ।

और उसने, तारीख.....के आवेदन पत्र द्वारा, अनुरोध किया है कि उसे
 उनके वस्तु या पदार्थ.....का भारत में विक्रय या वितरण करने का अनन्य विपणन
 अधिकार अनुदत्त किया जा सकता है ।

अतः अब, उक्त आवेदक को तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए, स्वयं
 उसके द्वारा या उसके अभिकर्ताओं या उसके अनुज्ञापिधारियों द्वारा उक्त वस्तु या पदार्थ का
 विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाते हैं ।

उपरोक्त अनन्य अधिकार, भारत में, अनन्य विपणन अधिकार किए जाने की तारीख से
 5 वर्ष की समाप्ति पर या पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन अस्वीकृत किए जाने की
 तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप, नियंत्रक ने, आज तारीख...../20.....को
 ऊपर उल्लिखित वस्तु/पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का अनन्य विपणन अधिकार अनुदत्त
 किया है ।

पेटेंट नियंत्रक

(मोहर)

किया जाए। टिप्पण : जो जागू न हो उसे काट दें	हस्ताक्षर सेवा में, पेटेंट नियंत्रक पेटेंट कार्यालय, पता.....
--	---

प्ररूप-30
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)

कोई फीस नहीं 1. आविष्कार का नाम बताएं	भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने की अनुमति के लिए अनुरोध [देखें धारा 39 और नियम 71] मेरे /हमारे कब्जे में के लिए आविष्कार है। मैंने/हमने उक्त आविष्कार के संबंध में पेटेंट के अनुदान के लिए ¹ आवेदन किया है, जिसका सं.तारीख..... है। या मैं/हम आविष्कार का संक्षिप्त विवरण इससे संलग्न कर रहा हूं /रहे हैं। मेरा/हमारा आशय एकमात्र रूप सेके साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित देश/देशों/अभिसमय के देशों, अर्थात:-में, उसी सारभूत रूप से उसी आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन करने का है। मैं/हम यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि आवेदन में अधिकारों कोको समनुदेशित किया गया है। ³ मैं/हम यह अनुरोध करता/करते हैं कि मुझे
2. व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता	
3. समनुदेशिती का नाम और पता	

ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ

अब, यह विलेख कि उपरोक्त आवेदक को (जिसके अंतर्गत उसके वैधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या उनमें से कोई भी है) यथासंशोधित पेटेंट अधिनियम 1970 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधिधीन तारीख.....200 से बीस वर्ष की अवधि के लिए, भारत में पेटेंटी कृत उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, विक्रय की प्रस्थापना करने, विक्रय या आयात करने से तीसरे पक्षकार को रोकने/ करने भारत में प्रक्रिया का प्रयोग करने, भारत में उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त किए गए उत्पाद को उन प्रयोजनों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित करने, विक्रय करने या आयात करने का और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का और इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि इस पेटेंट की विधिमान्यता गारन्टीकृत नहीं है और इस पेटेंट के जारी रहने के लिए विहित फीस सम्यक्तः संदत्त की गई है, अनन्य अधिकार होगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप नियंत्रक ने आज तारीख.....200 इस पेटेंट को मुद्रांकित कराया है।

पेटेंट नियंत्रक

मुद्रांकन की तारीख

टिप्पण : इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखे जाना हो, तो

होगी।

2.	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के आवेदन के लिए (क) धारा 84(1), धारा 91(1), धारा 96(1) या धारा 92(1) तथा (ख) 24 ग द्वारा यथा उपांतरित धारा 84(1) तथा धारा 92(1) निम्नलिखित के अधीन ।	1,500 25,000	5,000 75,000
3.	अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के पुनरीक्षण के संबंध में आवेदन के लिए: (क) धारा 88(4) के अधीन और (ख) धारा 24ग द्वारा यथाउपांतरित धारा 88(4) के अधीन	1,500 10,000	5,000 30,000
4.	सुनवाई पर उपस्थित होने के आशय की सूचना के लिए: धारा 62 (2) के अधीन	1,500	5,000
5.	जहां कोई पेटेंट अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वहां मुख्तारनामों के लिए स्टाम्प फीस या सुसंगत शपथ-पत्र के लिए स्टाम्प फीस	सदत्त वास्तविक राशि	सदत्त वास्तविक राशि
6.	नियम 57 के अधीन लिखित विवरणी के लिए या नियम 58 के अधीन उत्तर विवरणी या यदि सुसंगत हो, प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए	2,500	2,500
7.	यदि सुसंगत हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज या प्रकाशन के लिए जो कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए	1,000	1,000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ-पत्र या उद्धरण के लिए	1,000	1,000
9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिवस या अंशदिवस की सुनवाई के लिए	2,500	2,500

टिप्पण. जो लागू न हो, उसे काट दें।

[फा. सं. 14/6/2002-पी पी एण्ड सी]

ए. ई. अहमद. संयुक्त सचिव